सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2015-16

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)
भारत सरकार
एन.डी.एम.ए. भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव
नई दिल्ली – 110 029

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट

2015–16

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)
भारत सरकार
एन.डी.एम.ए. भवन, ए–1, सफदरजंग एनक्लेव
नई दिल्ली – 110029

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
	संक्षेपाक्षर	III
अध्याय 1	प्रस्तावना	1
अध्याय 2	कार्यकलाप एवं लक्ष्य	3
अध्याय 3	नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश	5
अध्याय 4	आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं	11
अध्याय 5	क्षमता विकास	19
अध्याय 6	कृत्रिम अभ्यास/कवायद एवं जागरूकता सृजन	23
अध्याय 7	राष्ट्रीय आपदा मोचन बलः आपदा मोचन के कार्य को सुदृढ़ करना	27
अध्याय 8	प्रशासन एवं वित्त	41
	अनुबंध – I	44
	अनुबंध – II	45

संक्षेपाक्षर

ए.ई.आर.बी.	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
सी.बी.आर.एन.	रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय
सी.एस.एस.आर.	क्षतिग्रस्त इमारत खोज एवं बचाव
डी.एम.	आपदा प्रबंधन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ई.एफ.सी.	व्यय वित्त समिति
ई.डब्ल्यू.	पूर्व–चेतावनी
एफ.आई.सी.सी.आई. (फिक्की)	भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य संगठन परिसंघ (फिक्की)
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
एच.पी.सी.	उच्चाधिकार प्राप्त समिति
आई.एम.डी.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी.	अंतरराष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह
एल.बी.एस.एन.ए.ए.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी
एम.एफ.आर.	चिकित्सा प्राथमिक सहायता कर्मी
एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
एन.सी.एम.सी.	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एन.सी.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.डी.एम.ए.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एन.डी.आर.एफ.	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
एन.ई.सी.	राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति
एन.ई.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संगठन
एन.आई.डी.एम.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
ओ.एफ.सी.	ऑप्टिकल फाइबर केबल
आर.एंड डी.	अनुसंधान एवं विकास
एस.ए.आर.	खोज एवं बचाव
एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा मोचन बल
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र

अध्याय-1

प्रस्तावना

असुरक्षितता विवरण

1.1 भारत, अपनी अनोखी भू–जलवायु एवं सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के कारण, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूकम्प, शहरी बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन और जंगल की आग जैसे भिन्न–भिन्न प्रकार के जोखिमों और अनेक आपदाओं से असुरक्षित रहा है। देश के 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) में से 27 आपदा प्रवण हैं, 58.6% भू–भाग साधारण से लेकर अति उच्च तीव्रता वाला भूकम्प प्रवण क्षेत्र है तथा इसकी भूमि का 12% बाढ़ प्रवण और नदी कटाव वाला क्षेत्र है; इसकी कुल 7,516 कि.मी. लंबी समुद्री तटरेखा में से 5,700 कि.मी. भू–भाग चक्रवात और सुनामी प्रवण क्षेत्र है; इसके कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में से 68% भाग सूखे से असुरक्षित है; और इसके पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का जोखिम बना रहता है, इसका 15% भू–भाग भूस्खलन प्रवण है तथा 5,161 शहरी स्थानीय निकाय शहरी बाढ़ प्रवण हैं। आगजनी की घटनाएँ, औद्योगिक दुर्घटनाएँ और अन्य मानव–जनित आपदाएँ जिनमें रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी सामग्रियों से संबंधित आपदाएँ शामिल हैं, वे अतिरिक्त खतरे हैं जिन्होंने आपदाओं के प्रशमन, उनका सामना करने की तैयारी और उन पर मोचन संबंधित उपायों को मजबूत बनाने की आवश्यकताओं को रेखांकित किया है।

1.2 भारत में आपदाओं की जोखिम, जनांकिकीय और सामाजिक–आर्थिक अवस्थाओं में तेज गति से होने वाले बदलावों, अनियोजित नगरीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन, भू–गर्भीय संकट, महामारियों और संक्रामक रोगों से संबद्ध बढ़ती असुरक्षिततओं से और भी अधिक वृद्धि हुई है । स्पष्टतः, इन सब बातों से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां आपदाएँ भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी आबादी और अनवरत विकास के लिए गंभीर चुनौती बन जाती हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की उत्पत्ति

किसी आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास उपायों को करने की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार भयानक प्राकृतिक विपदाओं के मामले में राज्य सरकार के प्रयासों में, उन्हें संभारतंत्र एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके, मदद करती है। संभारतंत्र सहायता में एयरक्राफ्टों, नावों, सशस्त्र बलों की विशेष टीमों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) की तैनाती, राहत सामग्रियों और अनिवार्य वस्तुओं जिनमें मेडिकल स्टोर शामिल हैं, की व्यवस्थाएं, महत्त्वपूर्ण ढांचागत सुविधाओं जिनमें संचार नेटवर्क शामिल है, की पुर्नबहाली और स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा अपेक्षित अन्य कोई सहायता सम्मिलित है।

सरकार ने आपदा प्रबंधन के तरीके की प्रणाली के राहत केंद्रित तरीके को एक समग्र एवं एकीकृत प्रबंधन तरीके द्वारा परिवर्तित किया है जिसमें रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, मोचन, राहत, पुनर्वास और पुनर्बहाली समाहित आपदा प्रबंधन के सम्पूर्ण चक्र को कवर किया गया है। यह तरीका इस दृढ़ धारणा पर आधारित है कि विकास तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक कि आपदा प्रशमन विकास प्रक्रिया के अंदर ही शामिल न हो।

1.3 भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के महत्त्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता का मानते हुए, अगस्त, 1999 में एक उच्चाधिकार समिति का गठन एवं गुजरात भूकम्प के बाद 2001 में आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के बारे में सिफारिशें करने तथा कारगर प्रशमन तंत्रों का सुझाव देने के लिए आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया था । तथापि, हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद

भारत सरकार ने देश के विधायी इतिहास में एक ठोस कदम उठाया तथा भारत में आपदाओं के प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र और समेकित कदम उठाने और उसे कार्य रूप देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की स्थापना की।

भारत सरकार ने आपदाओं और उनसे जुड़े मामलों अथवा उनके कारण हुई दुर्घटनाओं के कारगर प्रबंधन की व्यवस्था के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम आपदाओं के दुष्प्रभावों को रोकने तथा प्रशमित करने और किसी आपदा की परिस्थिति में तुरंत मोचन हेतु सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उपायों को सुनिश्चित करके, आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए सांस्थानिक प्रक्रम को निर्दिष्ट करता है। अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधाओं/दबावों के बारे में विभिन्न हितधारकों के फीडबैक के आधार पर, गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा के लिए मौजूदा अधिनियमों एवं वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अध्ययन हेतु एक कार्य बल गठित किया था। कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 2013 में प्रस्तुत कर दी जो सरकार के पास विचाराधीन है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का गठन

1.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 30 मई, 2005 को भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। तत्पश्चात्, 23 दिसंबर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया और 27 सितंबर, 2006 को इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इस प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का संघटन

1.5 एन.डी.एम.ए. का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री जो इस प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, द्वारा किया जाता है तथा एक सदस्य सचिव एवं तीन अन्य सदस्य इसमें उनके सहायक हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का विस्तृत संघटन अनुबंध I में प्रस्तुत है। एन.डी.एम.ए. से संबद्ध वर्तमान सदस्य निम्नानुसार हैं :

1.	श्री आर.के. जैन	सदस्य सचिव (30.11.2015 तक)
2.	श्री आर.के. जैन	सदस्य (01.12.2015 से)
3.	लेफ्टिनेन्ट जनरल (सेवानिवृत्त) एन.सी. मरवाह, पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम.	सदस्य (30.12.2014 से)
4.	डॉ. डी.एन. शर्मा	सदस्य (19.01.2015 से)
5.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015 से)

1.6 राष्ट्रीय स्तर पर, एन.डी.एम.ए. के पास, अन्य बातों के साथ–साथ, आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ निर्धारित करने और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम के लिए उपायों के एकीकरण अथवा आपदा के असर के प्रशमन के उद्देश्य हेतु अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को तैयार करने की जिम्मेदारी है। एन.डी.एम.ए. राज्य प्राधिकरणों द्वारा राज्य योजनाओं को तैयार करने और किसी आशंकित आपदा परिस्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए आपदा की रोकथाम अथवा उसके प्रशमन अथवा उसका सामना करने की तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे उपाय, जैसे जरूरी समझे जाएं, करने के लिए अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को भी निर्दिष्ट करेगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) सचिवालय

1.7 सचिवालय का नेतृत्व सचिव/सदस्य सचिव करते हैं और उनके साथ पांच संयुक्त सचिव/सलाहकार होते हैं जिनमें से एक वित्तीय सलाहकार होता है। उसमें दस संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के) और चौदह सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) होते हैं और उनकी सहायता के लिए सहायक स्टाफ होता है। अनेक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी भी संगठन को उसके काम में सहायता देते हैं। आपदा प्रबंधन एक विशिष्ट विषय है, अतः यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों की विशेषज्ञता अनुबंध आधार पर उपलब्ध रहे। संगठन के काम में अनेक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी भी सहायता प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संगठन की विस्तृत परिचर्चा 'प्रशासन एवं वित्त' नामक एक पृथक अध्याय में की गई है। अधिकारियों की सूची अनुबंध II में प्रस्तुत है।

अध्याय-2

कार्यकलाप एवं लक्ष्य

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकलाप

2.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व आपदाओं के बारे में समयबद्ध और कारगर मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने का है। इसके विधायी कार्यों में निम्नलिखित कार्य करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है :

(क) आपदा प्रबंधन के विषय में नीतियाँ बनाना ;

(ख) राष्ट्रीय योजना को और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गईं योजनाओं को अनुमोदित करना ;

(ग) राज्य योजना बनाने के लिए राज्य प्राधिकारियों के अनुपालन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करना ;

(घ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण के उपायों को समेकित करने तथा आपदा के प्रभाव का प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना ;

(ङ) आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना ;

(च) आपदा प्रशमन के प्रयोजनार्थ धनराशि (फंड्स) की व्यवस्था की सिफारिश करना ;

(छ) बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता सुलभ कराना जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जाए ;

(ज) आपदा निवारण के लिए, अथवा आपदा की स्थिति की आशंका से या आपदा से निपटने के लिए प्रशमन, अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य कदम उठाना जो एन.डी.एम.ए. आवश्यक समझे ;

(झ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) के कामकाज के लिए व्यापक नीतियाँ और दिशानिर्देश निर्धारित करना ;

(ञ) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा से निपटने के लिए विशेष कार्रवाई के प्रयोजन के लिए अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) पर प्रमुख अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रखना ;

(ट) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा में बचाव तथा राहत के लिए सामान या सामग्री की आपातकालीन अधिप्राप्ति के लिए संबंधित विभाग या प्राधिकरण को प्राधिकृत करना ;

(ठ) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करना ।

2.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सभी प्रकार की आपदाओं से, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव–जनित, निपटने के लिए अधिदेश प्राप्त है। जबकि ऐसी अन्य आपातस्थितियों जिनमें सुरक्षा बलों तथा/अथवा आसूचना अधिकरणों का निकटता से संलिप्त होना अपेक्षित है जैसे आतंकवाद (बगावत के विरुद्ध कार्रवाई), कानून और व्यवस्था की स्थिति, क्रमिक बम विस्फोट, विमान अपहरण, विमान दुर्घटनाएं, रासायनिक जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) हथियार प्रणाली, खान आपदाएँ, पत्तन और बंदरगाह की आपातस्थितियाँ, जंगल की आग, तेल क्षेत्र में आग और तेल बिखरने की घटनाओं से वर्तमान तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एन.सी.एम.सी.) द्वारा निपटना जारी रहेगा।

2.3 तथापि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों के बारे में दिशानिर्देश बनाएगा तथा प्रशिक्षण और तैयारी की गतिविधियों को सुकर बनाएगा। प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं के लिए चिकित्सा तैयारी, मनो–सामाजिक देखभाल और ट्रॉमा, समुदाय आधारित आपदा तैयारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण तैयारी, जागरूकता अभियान चलाना आदि जैसे विविध विषयों पर भी संबंधित हितधारकों की भागीदारी में एन.डी.एम.ए. अपना ध्यान आकृष्ट करेगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास उपलब्ध वे संसाधन, जो आपातकालीन सहायता कार्यकलाप के लिए सक्षम हैं, आसन्न आपदा/आपदाओं के समय आपातस्थिति से निपटने के लिए सभी स्तरों पर नोडल मंत्रालयों/अभिकरणों को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दूरदृष्टि (विजन)

2.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिदेश और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, से उत्पन्न दूरदृष्टि (विजन) निम्न प्रकार है :

"रोकथाम, प्रशमन, तत्परता एवं मोचन प्रेरित संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु–आपदा केंद्रित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास करते हुए एक सुरक्षित तथा आपदा से निपटने में पूर्ण सक्षम भारत का निर्माण करना।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लक्ष्य

2.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :

(क) सभी स्तरों पर ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से रोकथाम, तैयारी और समुत्थानशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना ।

(ख) प्रौद्योगिकी, पारंपरिक बुद्धिमत्ता और पर्यावरणीय संरक्षण पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना ।

(ग) आपदा प्रबंधन सरोकारों को विकासात्मक योजना प्रक्रिया में मुख्य स्थान प्रदान करना ।

(घ) सक्षमकारी नियामक वातावरण और एक अनुपालनकारी व्यवस्था का सृजन करने के लिए संस्थागत और प्रौद्योगिकीय–विधिक ढांचों को स्थापित करना ।

(ङ) आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) करने के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करना।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रत्युत्तरपूर्ण और बाधा–रहित संचार से युक्त समकालीन पूर्वानुमान एवं शीघ्र चेतावनी प्रणालियां विकसित करना।

(छ) समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर उनके अनुकूल प्रभावी मोचन और राहत सुनिश्चित करना।

(ज) अधिक सुरक्षित ढंग से जीने के लिए आपदा–समुत्थानशील इमारतें खड़ी करने को, एक अवसर के रूप में मानते हुए, पुनर्निर्माण कार्य हाथ में लेना।

(झ) आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ एक उपयोगी और सक्रिय (प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव) सहभागिता को बढ़ावा देना।

अध्याय-3

नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन.पी.डी.एम.) 2009

3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 18 जनवरी, 2010 को जारी की गई थी। इसमें आपदाओं के तत्काल प्रबंधन के संबंध में पूर्ववर्ती कार्रवाई केंद्रित तरीके के स्थान पर रोकथाम, तैयारी और प्रशमन के तरीके पर बल देते हुए आपदा के समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाकर किए गए आमूलचूल परिवर्तन को दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन.डी.एम.पी.)

3.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन.डी.एम.पी.) को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 में स्पष्ट की गई रूपरेखा के आधार पर तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य सरकारों तथा विशेषज्ञ निकायों या संगठनों के परामर्श से राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एन.ई.सी.) द्वारा तैयार किया जाएगा। एन.डी.एम.ए. के सदस्यों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015–2030 के लिए बनाई गई सेन्डाई रूपरेखा के प्रकाश में इस मसौदे पर पुनः विचार किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

3.3 उद्देश्यों को योजनाओं में रूपांतरित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर विभिन्न प्रशासनिक, अकादमिक, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं के सहयोग से अनेक पहलों (इनीशियेटिव्स) को शामिल करते हुए एक मिशन–आधारित दृष्टिकोण (मिशन–मोड अप्रोच) को अपनाया है। अन्य हितधारकों के अलावा, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को भी दिशानिर्देश बनाने के काम में शामिल किया गया है। विनिर्दिष्ट आपदाओं और प्रसंगों (जैसे क्षमता विकास और जन जागरूकता) पर आधारित ये दिशानिर्देश योजनाओं की तैयारी के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

3.4 एन.डी.एम.ए. द्वारा पिछले वर्षों के दौरान निम्नलिखित दिशानिर्देश तथा रिपोर्टें जारी की गई हैं:

एन.डी.एम.ए. द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों की सूची

क्र. सं०	विवरण
1.	भूकंप
2.	सुनामी
3.	चक्रवात
4.	बाढ़
5.	शहरी बाढ़
6.	सूखा
7.	भूस्खलन
8.	नाभिकीय और विकिरणकीय आपातस्थितियां
9.	रासायनिक आपदा (औद्योगिक)
10	रासायनिक (आतंकवाद) आपदा
11.	चिकित्सा तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना का प्रबंधन

12.	जैव आपदा
13.	मनो–सामाजिक सहायता
14.	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं का प्रतिपादन
15.	घटना कार्रवाई प्रणाली
16.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना और संचार प्रणाली
17.	अग्निशमन सेवाओं का स्तर–निर्धारण, उपस्कर की किस्म और प्रशिक्षण
18.	कमजोर भवनों तथा ढांचों की भूकम्पीय मरम्मत (रेट्रोफिटिंग)
19.	स्कूल सुरक्षा नीति पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश
20.	अस्पताल सुरक्षा पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश
21.	राहत के न्यूनतम स्तरों पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश

अन्य रिपोर्टों की सूची

क्र. सं०	विवरण
1.	नागरिक सुरक्षा का पुनर्गठन
2.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) की कार्यप्रणाली
3.	स्वास्थ्य से परे विश्वव्यापी महामारी
4.	पी.ओ.एल. टैंकरों के परिवहन हेतु सुरक्षा और सावधानी उपायों का सुदृढ़ीकरण
5.	नगर जलापूर्ति और जलाशयों के संकट
6.	आपदा के कारण मारे गए लोगों के शवों का प्रबंधन कार्य
7.	आपदा के प्रति कार्रवाई हेतु प्रशिक्षण प्रणाली
8.	नागरिक सुरक्षा तथा संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण हेतु पुस्तिकाः भाग I एवं II

वर्ष 2015–16 के दौरान जारी दिशानिर्देश तथा अन्य रिपोर्टें

स्कूल सुरक्षा नीति पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश

3.5 फरवरी, 2016 में स्कूल सुरक्षा नीति पर जारी राष्ट्रीय दिशानिर्देश को यह सुनिश्चित करने के लिए इस उद्देश्य के साथ बनाया गया है कि सभी स्कूली बच्चे पूरे देश में किसी भी प्रकार के आपदा–जोखिम से सुरक्षित रहें ताकि वह पूरी सुरक्षा के साथ अपनी शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकें।

अस्पताल सुरक्षा पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश

3.6 फरवरी, 2016 में जारी अस्पताल सुरक्षा पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश को यह सुनिश्चित करने के लिए इस उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है कि भारत में सभी अस्पताल संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से आपदाओं से इस तरह सुरक्षित रहें कि मानव–जीवन तथा अवसंरचना को जोखिम कम–से–कम हो।

तैयार हो रहे दिशानिर्देश एवं रिपोर्टें

भारत में संग्रहालयों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने हेतु दिशानिर्देशों का प्रतिपादन

3.7 संग्रहालयों में आपदा से निपटने के तैयारी के लिए दिशानिर्देश बनाने हेतु एक समिति का गठन अगस्त, 2015 में किया गया। समिति ने संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता से प्रतिनिधि तथा संग्रहालयों के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं।

3.8 एन.डी.एम.ए. ने 'समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन' तथा 'गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की आपदा प्रबंधन में भूमिका' पर दिशानिर्देशों का मसौदा भी बनाया है। इन

दिशानिर्देशों को आम जनता तथा हितधारकों से सुझाव/प्रतिक्रिया/फीडबैक मांगने के लिए एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

नौका दुर्घटनाओं पर दिशानिर्देश

3.9 नौका दुर्घटनाओं पर दिशानिर्देशों को बनाने के लिए सचिव, एन.डी.एम.ए. की अध्यक्षता में राज्य सरकारों से संबंधित अधिकारियों को शामिल करके एन.डी.एम.ए. द्वारा प्रमुख समूह (कोर ग्रुप) गठित किया गया। यह दिशानिर्देश पूर्णता के अधीन है।

एन.डी.एम.ए. द्वारा संचालित अध्ययन

3.10 इसके अलावा, एन.डी.एम.ए. ने 'भारत का संभाव्यवादी भूकम्पीय खतरा मानचित्र का विकास', 'ब्रह्मपुत्र नदी कटाव और इसके नियंत्रण पर अध्ययन', 'भारत में शहरी केंद्रों के भूकंपीय माइक्रोजोनेशन के भू–तकनीकी/भू–भौतिकीय अन्वेषण पर तकनीकी दस्तावेज पर रिपोर्ट' तथा 'भारत भू–भाग के संभाव्यवादी भूकंपीय खतरा विश्लेषण' पर भी अध्ययनों का संचालन किया है और ये सभी अध्ययन जनता के लिए एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एन.डी.एम.पी.)

3.11 राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एन.ई.सी.) ने गृह सचिव की अध्यक्षता के अंतर्गत दिनांक 21.10.2013 को आयोजित अपनी 15वीं वैठक में एन.डी.एम.पी. के मसौदे को स्वीकृत (क्लियर) कर दिया जिसे सेन्डाई, जापान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर हुए तीसरे विश्व सम्मेलन के दौरान मार्च, 2015 में घोषित सेन्डाई कार्रवाई रूपरेखा के साथ एकीकृत करने के लिए दोबारा तैयार किया गया था।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एस.डी.एम.पी.) का प्रतिपादन

3.12 दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एस.डी.एम.पी.) तैयार करने की प्रास्थिति निम्नानुसार है:

- 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी एस.डी.एम.पी. तैयार कर ली है और एन.डी.एम.ए. के साथ उसे साझा किया है।
- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी एस.डी.एम.पी. का मसौदा तैयार कर लिया है और सूचना दी है कि इसे वह एस.डी.एम.ए. के अनुमोदन के बाद एन.डी.एम.ए. के साथ साझा करेगा।
- तेलंगाना राज्य एस.डी.एम.पी. तैयार करने हेतु प्रक्रियारत है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं (एस.डी.एम.पी.) की समीक्षा

3.13 वर्ष, 2015–16 के दौरान (31.01.2016 तक), 9 राज्यों की राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं पर चर्चा की गई और वार्षिक समीक्षा के दौरान एन.डी.एम.ए. की टिप्पणियों को उनके अपडेशन के लिए उन तक भेजा गया। यह राज्य हैं असम, बिहार, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा राजस्थान।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एस.डी.एम.ए.) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डी.डी.एम.ए.) को सुदृढ़ करने के लिए स्कीम

3.14 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 36 एस.डी.एम.ए. तथा 256 डी.डी.एम.ए. के लिए वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान 42.50 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2015–16 के लिए 21.26 करोड़ रुपए तथा 2016–17 के लिए 21.24 करोड़ रुपए) की लागत से 'राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एस.डी.एम.ए.) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डी.डी.एम.ए.) को सुदृढ़ करना' के काम से संबंधित केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को क्रियान्वित कर रहा है।

3.15 यह स्कीम निम्न प्रकार से एस.डी.एम.ए. तथा डी.डी.एम.ए. को वित्तीय सहायता प्रदान करती है:

क. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस.डी.एम.ए.)

(i) आपदा प्रबंधन के लिए 50,000 रुपए प्रति माह की दर से 2/3 मानव संसाधन (एच.आर.) व्यावसायिकों (पेशेवरों) की सेवाएं किराए पर लेना।

(ii) 4.00 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष की दर से विज्ञापन, उपस्कर, घरेलू यात्रा तथा आकस्मिकता व्यय के लिए प्रशासनिक लागत।

ख. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी.डी.एम.ए.)

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में चुने गए डी.डी.एम.ए. में से प्रत्येक के लिए 40,000 रुपए प्रति माह की दर से एक मानव संसाधन (एच.आर.) व्यावसायिक की सेवाएं किराए पर लेना।

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में चुने गए डी.डी.एम.ए. में से प्रत्येक के लिए 2.00 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष की दर से विज्ञापन, उपस्कर, घरेलू यात्रा तथा आकस्मिकता व्यय के लिए प्रशासनिक लागत।

3.16 दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, 25 राज्य सरकारों तथा 5 संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने 2015–16 के दौरान स्कीम को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन सभी 25 राज्यों तथा 5 संघ राज्य क्षेत्रों में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निधियों को अंतरित किया गया।

(i) राज्यों को अंतरित निधियों का ब्यौराः

क्र.सं०	राज्य का नाम	अंतरित/व्यय हेतु प्राधिकृत राशि (लाख रुपए)
1.	आंध्र प्रदेश	35.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	36.4
3.	असम	61.4
4.	छत्तीसगढ़	40.8
5.	गोवा	14.4
6.	गुजरात	57.0
7.	हरियाणा	45.2
8.	हिमाचल प्रदेश	32.0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	52.6
10.	झारखंड	54.0
11.	कर्नाटक	65.8
12.	केरल	39.4
13.	महाराष्ट्र	74.6
14.	मणिपुर	27.6
15.	मेघालय	23.2
16.	मिजोरम	23.2
17.	नगालैंड	27.6
18.	ओडिशा	65.8
19.	पंजाब	25.5
20.	राजस्थान	50.1
21.	सिक्किम	18.8
22.	तेलंगाना	30.6
23.	त्रिपुरा	18.8
24.	उत्तराखंड	32.0
25.	पश्चिम बंगाल	48.2
	योग	**1000.0**

(ii) संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित निधियों का ब्यौरा:

क्र. सं०	संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अंतरित/व्यय हेतु प्राधिकृत राशि (लाख रुपए)
1.	चंडीगढ़	10.0
2.	दादरा और नगर हवेली	10.0
3.	दमन और दीव	14.4
4.	लक्षद्वीप	10.0

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाएं

3.17 आपदा प्रबंधन योजनाओं (डी.एम.पी.) की तैयारी में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सहायता के लिए, एन.डी.एम.ए. ने 'आपदा प्रबंधन योजना हेतु प्रस्तावित संरचना–भारत सरकार में विभाग/मंत्रालय' का प्रतिपादन किया जो लिंक–नीति और योजना–केंद्रीय मंत्रालय/विभाग आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट www.ndma.gov.in पर उपलब्ध है।

3.18 आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 37 के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी का काम चल रहा है। 54 मंत्रालयों/विभागों की आपदा से निपटने की तैयारी की योजनाओं पर चर्चा के लिए पांच बैचों में बैठकों का आयोजन किया गया है (जुलाई, 2014, अगस्त, 2014, मार्च, 2015, मई, 2015 तथा जुलाई, 2015)।

3.19 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, (i) रेलवे, (ii) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, (iii) भारी उद्योग, (iv) इस्पात तथा (v) पशु पालन, डेयरी एवं मस्त्य पालन के मंत्रालयों/विभागों ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर ली है।

किसी बाहरी संगठन द्वारा कार्यशाला/सम्मेलन/कार्यक्रम आदि के दौरान एन.डी.एम.ए. के प्रतीक (लोगो) के इस्तेमाल के लिए नीति दिशानिदेश

3.20 किसी बाहरी संगठन जिसने एन.डी.एम.ए. से कोई वित्तीय सहायता न मांगी हो, द्वारा कार्यशाला/सम्मेलन/कार्यक्रम आदि के दौरान एन.डी.एम.ए. के लोगो के इस्तेमाल के लिए आए अनुरोधों पर विचार करने के लिए एक नीतिगत रूपरेखा को दिसंबर, 2015 में जारी किया गया।

अध्याय-4

आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (चरण I)

4.1 जनवरी, 2011 से प्रारंभ 1,496.71 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.) चरण I कार्यान्वयन के अंतर्गत है जो एक केंद्रीय सहायता–प्राप्त स्कीम है और जिसका निधिपोषण एक अनुकूलनीय कार्यक्रम ऋण के रूप में विश्व बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। एन.डी.एम.ए. में बनाई गई परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) इसकी नोडल अभिकरण है जिसमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य भागीदार हैं। इस परियोजना के मुख्य लक्ष्यों में चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणालियों को अपग्रेड करना, चक्रवात जोखिम प्रशमन ढांचा जैसे बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केन्द्र, आवासों तक संपर्क सड़कों/पुलों को खड़ा करना शामिल हैं ताकि प्रभावित आबादी के जोखिम और असुरक्षितताओं को कम किया जा सके, साथ ही इस उद्देश्य में लवणीय प्रवेश और समुद्री जल में बाढ़ आने से तटीय क्षेत्रों और कृषि भूमियों की सुरक्षा के लिए लवणीय तटबंधों (सेलाइन इम्बैंकमेन्ट्स) का निर्माण और बहु–विपदा जोखिम प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण करना भी शामिल है।

4.2 नीचे दी गई सारणी के अनुसार इस परियोजना के चार घटक हैं :

घटक	परियोजना विवरण	परिव्यय (करोड़ रुपए)
क	समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों के लिए पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली (ई.डब्ल्यू.डी.एस.) तथा सामुदायिक क्षमता निर्माण।	72.75
ख	चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना का निर्माण यथा; – बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्र (एम.पी.सी.एस.); – सड़कें; – पुल; तथा – लवणीय तटबंध (सेलाइन इम्बैंकमेंट्स);	1164.00
ग	चक्रवात संकट जोखिम प्रशमन, क्षमता निर्माण और ज्ञान सृजन हेतु तकनीकी सहायतां ।	29.10
घ	परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता।	95.06
	अनावंटित आकस्मिकता निधि	135.80
	योग	**1496.71**

कार्यान्वयन प्रास्थिति

घटक क

4.3 भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम टेलिकम्युनिकेशन कंसल्टेन्ट्स इंडिया लि. (टी.सी.आई.एल.) जो आपदा पूर्व/दौरान/पश्चात् अवधि में सर्वत्र संपर्कता सुनिश्चित करने के लिए 2.52 करोड़ रुपए की लागत पर 24 महीनों की अवधि के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ई.डब्ल्यू.डी.एस.) को विकसित करने हेतु प्रौद्योगिकियों का प्रस्ताव करने वाला ज्ञान भागीदार है। अब तक 1.33 करोड़ रुपए की राशि का एक व्यय किया जा चुका है। ओडिशा सरकार ने नवंबर, 2015 में ई.एफ.डी.एस. के लिए आर.एफ.पी. जारी किया है। फरवरी, 2016 में खोली गई तकनीकी बोलियों की राशियां आंध्र प्रदेश सरकार के मूल्यांकन के अंतर्गत हैं।

घटक ख

4.4 इस घटक में चक्रवात जोखिम प्रशमन हेतु अवसंरचना जैसे बहु–उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केन्द्र (एम.पी.सी.एस.), आश्रय–केंद्रों और आवासों, पुलों और लवणीय तटबंधों तक संपर्क सड़कों, को खड़ा करना शामिल है। कुल 292 एम.पी.सी.एस. में से, 224 एम.पी.सी.एस. का काम पूरा हो गया हैः 64 का काम किया जाना बाकी है और 4 बोली (बिडिंग) की कार्रवाई के अंतर्गत हैः 780 किलोमीटर सड़कों में से, 703.48 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा हो गया है और शेष 76. 6 किलोमीटर की सड़कों का काम प्रगति पर है। 23 पुलों में से, 20 पुलों का काम पूरा हो गया है और शेष 03 का काम किया जाना बाकी हैः 5 लवणीय तटबंधों पर कार्य पूरा हो गया है तथा शेष 9 का काम प्रगति पर है।

पलमनपेटा, विशाखापटनम जिला, आंध्र प्रदेश में चक्रवात आश्रय केंद्र

भीमावरम मंडल, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश के लोसारी में चक्रवात आश्रय–केंद्र को जाने वाली सड़क

पुलिगेडा पुल, विजयनगरम जिला, आंध्र प्रदेश

कोना लवणीय तटबंध, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश

माटीखोला, गंजम जिला, ओडिशा में बिटुमन (बी.टी.) सड़क

सीमेंट कंक्रीट (सी.सी) सड़क, पंचुबिसा, ओडिशा

राजनगर, गोपालपुर लवणीय तटबंध बालासोर जिला, ओडिशा

घटक ग

4.5 इस घटक में निम्नलिखित अध्ययनों का काम शामिल है:

(क) तटीय खतरा, जोखिम एवं असुरक्षितता विश्लेषण अध्ययन का काम ज्ञान भागीदार मैसर्स आर.एम. एस.आई. प्राइवेट लि० द्वारा किया जा रहा है। कुल 13 डिलीवरेबल्स में से 03 का काम पूरा है। चौथे, 5वें एवं 6वें डिलीवरेबल (क्रमशः खतरा, असुरक्षितता डेटा सेट एवं जोखिम रिपोर्ट) का काम दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के दौरान पूरा कर लिया गया है। सातवें डिलीवरेबल (कंपोजिट रिस्क एटलस) की जांच चल रही है। अब तक 1.23 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है।

(ख) भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु दीर्घावधिक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यनीति के लिए अध्ययन का काम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) द्वारा मैसर्स सीड्स तकनीकी सेवाओं को सौंपा गया था। इस अध्ययन के अंतर्गत सभी डिलीवरेबल्स का काम पूरा कर लिया गया है। भारत ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति पर नीति दिशानिर्देश, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया (अक्रेडिटेशन प्रोसेस), ड्राफ्ट मीडिया प्रबंधन नीति एवं कैम्पेन तथा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का काम आगे बढ़ाया जाना जरूरी है। परियोजना के चरण–II के अंतर्गत 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण' मॉडयूलों की सूची बनाने के लिए लागू की जाने वाली एक विस्तृत प्रचालनात्मक योजना तैयार करने का काम एन.आई.डी.एम. द्वारा किया जा रहा है।

(ग) एन.आई.डी.एम. द्वारा एशियाई आपदा तैयारी केन्द्र (ए.डी.पी.सी.), थाईलैण्ड को जनवरी, 2014 को 18 महीनों की एक अवधि के लिए 3.40 करोड़ रुपए की एक लागत पर आपदा पश्चात् आवश्यकता विश्लेषण (पी.डी.एन.ए.) पर एक अध्ययन का काम सौंपा गया जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के अनुकूल मानकीकृत पी.डी.एन.ए. उपकरणों को तैयार करना और देश में पी.डी.एन.ए. की पूरी प्रणाली का पुनर्गठन करना था। कुल 12 डिलीवरेबल्स में से 06 का काम पूरा हो गया है और शेश का काम जांच के अंतर्गत है।

वित्तीय प्रबंधन

4.6 परियोजना के लिए 1232.15 करोड़ रुपए की जारी की गई कुल राशि के एवज में, 1064.78 करोड़ रुपए की राशि वाले भाग का उपयोग किया गया है।

एन.सी.आर.एम.पी. (अतिरिक्त वित्तपोषण)

4.7 एन.सी.आर.एम.पी.–I के अंतर्गत सृजित अवसंरचना का चक्रवात पैलिन और हुदहुद (जिसने 2013/2014 में क्रमशः आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य को प्रभावित किया) में उपयोग किया गया और लोगों को एम.पी.सी.एस. में शरण देकर समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला गया जिससे मौतों की संख्या में कमी आई। तथापि, चक्रवात जोखित प्रशमन अवसंरचना में कई खामियां नोटिस में आईं। इन खामियों को दूर करने के लिए एन. सी.आर.एम.पी. (अतिरिक्त वित्तपोषण) का प्रतिपादन किया गया। भारत सरकार ने 835 करोड़ रुपए के एक परिव्यय सहित जुलाई, 2015 में अतिरिक्त वित्तपोषण का अनुमोदन किया जिसमें विश्व बैंक से 645 करोड़ रुपए का क्रेडिट शामिल है तथा शेष 189.50 करोड़ रुपए घटक 'ख' के अंतर्गत राज्य के हिस्से के रूप में हैं।

4.8 बनाए जाने वाले कुल 246 चक्रवात आश्रय–केंद्रों में से, 23 आश्रय–केंद्रों का काम पूरा हो गया है और 139 आश्रय–केंद्रों का काम चल रहा है और शेष का काम बोली प्रक्रिया के अंतर्गत है। कुल 204.79 किलोमीटर की सड़कों में से, 23 किलोमीटर की सड़क पूरी हो गई है, 172 किलोमीटर की सड़कों का काम चल रहा है और शेष का काम बोली प्रक्रिया (बिडिंग) के अंतर्गत है। 12 पुलों में से 06 पुलों का काम चल रहा है और शेष का काम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) के चरण में है। अतिरिक्त वित्तपोषण के अंतर्गत 366.72 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है जबकि लगभग 218 करोड़ रुपए का एक व्यय किया गया है।

एन.सी.आर.एम.पी. चरण– II

4.9 एन.सी.आर.एम.पी.–II में पश्चिम बंगाल, गुजरात,

महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा शामिल हैं। भारत सरकार ने 2361.25 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एन. सी.आर.एम.पी. के चरण–II का अनुमोदन किया। विश्व बैंक का निधिपोषण एक अनुकूलनीय कार्यक्रम ऋण के रूप में हैं जिसमें 1881.10 करोड़ रुपए की राशि का अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आई.डी.ए.) क्रेडिट है और 480.15 करोड़ रुपए की शेष राशि का अंशदान पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा की राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है (घटक–ख के अंतर्गत)। इस घटक के अंतर्गत अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम शामिल किया गया है।

4.10 क्रमशः कुल 112 चक्रवात आश्रय–केंद्रों तथा 170 किलोमीटर सड़कों में से गुजरात ने 30 चक्रवात आश्रय–केंद्र तथा 70 किलोमीटर की लंबाई वाली सड़कों का काम सौंपा था। पश्चिम बंगाल ने सभी 150 चक्रवात आश्रय–केंद्रों का काम सौंपा है। शेष राज्य गोवा, कर्नाटक, केरल तथा महाराष्ट्र साइटों को तय करने, पर्यावरणिक क्लियरेंस, डी.पी.आर. आदि की प्रक्रिया में लगे हैं। एन.सी.आर.एम.पी.–II के अंतर्गत गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल राज्यों को 147.98 करोड़ रुपए (भारत सरकार का हिस्सा) की एक राशि जारी कर दी गई है।

प्रशमन प्रभाग, एन.डी.एम.ए. द्वारा उठाए गए कदम (इनिशिएटिव्स)

4.11 प्रशमन प्रभाग ने विविध विषयों पर प्रायोगिक परियोजनाओं और अध्ययनों का काम हाथ में लिया है जिनमें प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों के माध्यम से बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, चिकित्सा तैयारी, रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय आपदाओं आदि समेत प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के विभिन्न पहलुओं को कवर किया जाता है। एन.डी.एम.ए. द्वारा चलाई जा रहीं विभिन्न परियोजनाएं/कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (प्रारंभिक चरण)

4.12 राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (प्रारंभिक चरण) को 24.87 करोड़ रुपए के एक परिव्यय के साथ एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है। परियोजना के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं:

(i) प्रौद्योगिकीय–विधिक प्रणाली जिसमें संबंधित शहरों/राज्यों में प्रौद्योगिकीय–विधिक प्रणाली को अपनाना एवं अपडेट करना शामिल हैं।

(ii) सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण जिसमें मास्टर प्रशिक्षकों/प्रशिक्षितों का एक पूल तैयार करने में इंजीनियरिंग संसाधन संस्थानों से काम लेना एवं संकाय संसाधन सर्वेक्षण शामिल हैं।

(iii) भूकंप रोधी निर्माण कार्यों में कार्यरत शिल्पियों (आर्किटेक्टों), इंजीनियरों एवं राज–मिस्त्रियों का क्षमता निर्माण।

(iv) राष्ट्रीय स्तर पर और सभी संवेदनशील राज्यों में जन जागरूकता एवं सुग्राहीकरण।

4.13 यह परियोजना 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जो भूकंपीय क्षेत्र IV एवं V में आते हैं, में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों /अन्य संस्थानों के साथ समन्वय से एन.डी.एम.ए. द्वारा चलाई जा रही है।

4.14 इस परियोजना के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

(i) मॉडल भवन निर्माण उप–नियमों और भूकंपरोधी निर्माण और योजना मानकों को अपनाने की आवश्यता पर प्रमुख हितधारकों की बड़ी हुई जागरूकता।

(ii) भूकंपीय क्षेत्र IV एवं V में सभी लक्षित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शहर एवं राज्य स्तरों पर मॉडल भवन निर्माण उप–नियमों को अपनाने हेतु अनुपालन।

(iii) पुनः मरम्मत पर दिशानिर्देशों का विकास।

(iv) भूकंपरोधी निर्माण प्रथाओं का संवर्धन।

(v) 150 संकाय सदस्यों/अध्यापकों हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(vi) 450 प्रशिक्षिकों हेतु 5 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स।

(vii) लक्षित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 750 सिविल इंजीनियरों, 1050 आर्किटेक्टों एवं 1500 राज–मिस्त्रियों हेतु 5 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

(viii) लक्षित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूकंप के प्रति संकेंद्रित (फोकस्ड) जागरूकता अभियान।

4.15 सचिव, एन.डी.एम.ए. की अध्यक्षता के अंतर्गत राष्ट्रीय संचालन समिति (एन.एस.सी.) का गठन कर लिया गया है। राष्ट्रीय संचालन समिति के बनने के से लेकर अब तक अनेक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं ताकि परियोजना की क्रियान्वयन कार्यनीति पर चर्चा की जा सकें। दिनांक 11/08/2014 को आयोजित एन.एस.सी. बैठक की सिफारिशों के अनुसार, एस.एफ.सी. दस्तावेज को संशोधित करके, दो वर्षों की अवधि के विस्तार और 15.97 करोड़ रुपए से लागत को संशोधित करके 24.87 करोड़ रुपए करने की सहमति के लिए फरवरी, 2015 में गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया।

अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं

4.16 अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं/अध्ययनों में वैज्ञानिक अध्ययन तथा वर्तमान में चलाई जा रही स्कीमें शामिल हैं जिनका संक्षेप में सार निम्नानुसार है:

उन्नत भूकंप खतरा मानचित्रों को तैयार करने का काम

4.17 यह परियोजना देश/राज्यों/जिलों/उप–मंडलों के लिए 76.83 लाख रुपए की लागत पर उन्नत भूकंप खतरा मानचित्रों को तैयार करने से संबंधित है। इस परियोजना का काम भवन सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् (बी.एम.टी.पी.सी.) द्वारा किया जा रहा है। बी.एम.टी.पी.सी. ने उन्नत भूकंप खतरा मानचित्रों/एटलसों का मसौदा तैयार किया है जिसकी समीक्षा विशेषज्ञ समूह द्वारा माई, 2015 में की गई। मानचित्र तथा एटलसों की छपाई का काम प्रगति पर है और अप्रैल, 2016 तक इसके पूरा किए जाने की उम्मीद है।

मानचित्रों तथा एटलसों का उपयोग:

- भूमि उपयोग जोनिंग और बेहतर आवास योजना।
- नेताओं तथा नीति निर्माताओं, इंजीनियरों, आर्किटैक्टों, आपदा प्रबंधन व्यावसायिकों आदि के लिए उपयोग।
- आपदा प्रबंधन से जुड़ी सार्वजनिक एवं वित्तीय नीतियों का प्रतिपादन तथा आपातकालीन योजना।
- प्रौद्योगिकीय–विधिक ढांचा स्थापित करने के लिए एक सहायता।
- बीमा एजेंसियों के लिए उपयोगी।
- उप–जिला स्तर पर, ये प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) हेतु सभी के लिए आवास मिशन के अंतर्गत स्मार्ट शहर परियोजनाएं तथा विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में उपयोगी होंगे आदि।
- संबंधित प्राधिकरण आगामी योजना बनाने, एकीकृत प्रशमन नीतियों का प्रतिपादन करने जिनमें जागरूकता, शिक्षा तथा प्रशिक्षण, निवारक तथा तैयारी के उपाय, चेतावनी प्रणालियों में सुधार का काम कवर किया गया हो, में प्राथमिकता पर कार्रवाई किए जाने वाले जिलों की पहचान कर सकते हैं।

केरल के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों और निम्न पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा पाइपिंग पर अनुसंधान परियोजना

4.18 मृदा पाइपिंग केरल के पर्वतीय (पहाड़ी) इलाकों में हाल में देखी गई एक घटना है। इस परियोजना का उद्देश्य इस घटना पर अध्ययन करना तथा प्रशमन उपायों को प्रस्तावित करना है। यह स्कीम एन.डी.एम.ए. से आंशिक वित्तीय सहायता के द्वारा पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (सी.ई.एस.एस.), तिरुवनंतपुरम और राजस्व विभाग, केरल सरकार के माध्यम से प्रगति पर है। एक त्रिपक्षीय करार पर सी.ई.एस.एस. के साथ हस्ताक्षर किए गए और परियोजना का मध्यावधिक मूल्यांकन फरवरी, 2015 में आई.आई.पी.ए. द्वारा किया गया। कुल परियोजना लागत (केरल सरकार का अंशदान 37,38,000/– रुपए तथा एन.डी.एम.ए. का अंशदान– 49,73,100/– रुपए), में से 46.16 लाख रुपए की एक राशि को सी.ई.एस.एस. को जारी किया जा चुका है। कुल राशि में से, 44.01 लाख रुपए परियोजना पर खर्च किए गए और 214880 की शेष राशि को एन.डी.एम.ए. को लौटा दिया गया जिसे सरकारी खाते में जमा करा दिया गया।

एम 8.7 शिलांग 1897 भूकंप परिदृश्य: पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहु–राज्यीय तैयारी अभियान

4.19 एन.डी.एम.ए. द्वारा सी.एस.आई.आर.–पूर्वोत्तर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.ई.आई.एस.टी.), जोरहाट और अन्य संस्थानों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र की संवेदनशीलता के आकलन के लिए एम 8.7 शिलांग 1897 भूकंप परिदृश्य तैयार करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया है जिसमें सिक्किम सहित सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों को कवर किया जा रहा है ताकि किसी बड़े भूकंप के असर को समझा जा सके और ऐसी किसी घटना के लिए क्षमता निर्माण और बहु–राज्यीय तैयारी के काम को सुकर बनाया जा सके।

4.20 इस परियोजना में 8 पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में कार्यान्वित होने वाले निम्नलिखित बड़े कार्यकलापों की परिकल्पना की गई है:–

क) भूकंप का परिदृश्य तैयार करना

ख) बड़ा कृत्रिम अभ्यास

ग) स्कूली बच्चों का सुग्राहीकरण

घ) जागरूकता सृजन

ङ) रैपिड विजुअल स्कीनिंग (आर.वी.एस.) प्रशिक्षण

4.21 इस परियोजना की कुल लागत 620.36 लाख रुपए है। एन.डी.एम.ए. ने नवंबर, 2013 में परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सी.एस.आई.आर.–एन.ई.आई.एस.टी. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के सभी कार्यकलापों को पूरा कर लिया गया है, अंतिम रिपोर्ट पेश किए जाने की जल्दी ही उम्मीद है।

यह परियोजना सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ी शक्ति के एक भूकंप के बारे में हितधारकों के बीच में जागरूकता उत्पन्न करने में अत्यधिक लाभदायक होगी। राज्यों की संगत आपदा प्रबंधन योजनाओं में यथा परिलक्षित विकसित जानकारी को इस परियोजना में शामिल करके जान–माल के खतरे को कम–से–कम किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) से दी गई निधियों के अंतर्गत बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्रों का निर्माण

4.22 पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिलों में 138.65 करोड़ रुपए की लागत से 50 चक्रवात आश्रय–केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। एन.डी.एम.ए. ने 35 बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्रों के निर्माण हेतु मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटिड (ई.पी.आई.एल.), नई दिल्ली और 15 बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय–केंद्रों के निर्माण हेतु मैसर्स हिंदुस्तान स्टील वर्क्स लिमिटिड (एच.एस.सी.एल.), कोलकाता के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

4.23 एच.एस.सी.एल. ने 15 आश्रय–केंद्रों तथा ई.पी.आई.एल. ने 22 आश्रय–केंद्रों का काम पूरा कर दिया है। ई.पी.आई.एल. द्वारा आश्रय–केंद्रों के निर्माण का काम विभिन्न कारणों से देर से हुआ जैसे अगम्य नदी तटीय स्थल, पश्चिम बंगाल द्वारा साइटों में बदलाव करना, ई.पी.आई.एल. द्वारा ठेकेदारों को बदला जाना आदि। ई.पी.आई.एल. को दिसंबर, 2016 तक चरणबद्ध तरीके से शेष 13 आश्रय–केंद्रों को पूरा करने को काम किया गया है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) के अंतर्गत कोशन्गरा, उत्तरी 24 परगना जिला में चक्रवात आश्रय–केंद्र

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) के अंतर्गत पूर्बा मुकुंदपुर, पूर्वी मेदिनीपुर जिला में चक्रवात आश्रय–केंद्र

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम (एम.आर.डी.एस.) के माध्यम से विकिरणकीय खतरों से निपटने की तैयारी पर स्कीम

4.24 एन.डी.एम.ए. ने रेडियोधर्मी सामग्रियों का इस्तेमाल करके दुर्भावनापूर्ण कार्य द्वारा की गई किसी दुर्घटना की रोकथाम तथा जांच के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में यह स्कीम शुरु की। इस परियोजना की लागत 697 लाख

रुपए है। दो वर्षों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) और अधिप्राप्ति की समय सीमा के साथ अगस्त, 2015 में एन.डी.एम.ए. और बी.ए.आर.सी. के बीच यंत्रों की अधिप्राप्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एन.डी.एम.ए. ने राज्य पुलिस द्वारा उपकरणों के उपयोग तथा रख–रखाव के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) को सभी हितधारकों के परामर्श से तैयार किया। मसौदा समझौता ज्ञापन को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके विचार तथा और अंतिम रूप देने (फाइनल करने) के लिए भेजा गया है। 35 राज्यों में से, 9 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

भूकंप समुत्थानशील कोडों पर बी.आई.एस. के साथ विचार–विमर्श

4.25 एन.डी.एम.ए. द्वारा की गई पहल पर, बी.आई.एस. ने सभी भूकंप संबंधित कोडों का संशोधन कार्य शुरू कर दिया है जो पूरा होने के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत है। इसके अलावा, अतिरिक्त विषयों जैसे कार्य क्षमता आधारित डिजाइन, इमारतों की भूकंपीय मरम्मत–राजगीरी, नई इमारतों का भूकंपीय डिजाइन और ब्यौरा–इस्पात (स्टील), पुलों का भूकंप पश्चात् क्षति आकलन, वाटर टैंक, पाइपलाइनों, संचार टावरों और तटीय इमारतों, के बारे में कोडों पर भी काम चल रहा है।

भूकंप समुत्थानशील मॉडल जिला कार्यक्रम (ई.आर.एम.डी.पी.)

4.26 25, अप्रैल, 2015 को नेपाल तथा भारत के कुछ राज्यों में आए भूकंप और सामान्य से लेकर बाद में आए उच्च शक्ति वाले झटकों के नियमित अंतराल पर आने को ध्यान के रखकर, जून, 2015 में 'भूकंप समुत्थानशील मॉडल जिला कार्यक्रम (ई.आर.एम.डी.पी.)' की संकल्पना पर भूकंपीय क्षेत्र IV और V में आने वाले राज्यों जैसे उत्तराखंड, बिहार, त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड, असम, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ परिचर्चा की गई।

4.27 शिक्षण संस्थानों (आई.आई.टी., आई.आई.आई.टी., एन.आई.टी., सी.ई.पी.टी. एवं एस.पी.ए.), वैज्ञानिक संगठन (एन.जी.आर.आई. एवं सी.एस.आई.आर.), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, दूरसंचार विभाग, केंद्रीय जल आयोग, नगर–निगम, बी.आई.एस., शहरी विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, पेय जल तथा स्वच्छता मंत्रालय से आए अन्य हितधारकों ने भी भाग लिया।

4.28 इस परियोजना का उद्देश्य चुने गए भूकंपीय प्रवण शहरों/जिलों में से एक में मॉडल के रूप में 'भूकंप प्रबंधन' से संबंधित एन.डी.एम.ए. के दिशानिर्देशों को लागू करना है। इससे हासिल अनुभव का आगे भूकंप से सुरक्षा के लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्यकलापों के दोहराव (रेप्लीकेशन) में किया जा सकता है। ई.आर.एम.डी.पी. के परियोजना प्रस्ताव को 11 राज्यों जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा के मुख्य सचिवों को भेजा गया ताकि वे प्रस्तावित परियोजना में भाग लेने के लिए क्षेत्र IV/V में पढ़ने वाले कम–से–कम एक भूकंप प्रवण क्षेत्र/जिले को नामित कर दें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मणिपुर से उत्तर प्राप्त हो गया है।

4.29 दिसंबर, 2015 में कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए निदेशक–आई.आई.टी. जोधपुर के अधीन एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

लक्षद्वीप के मिनिकोय द्वीप में एक सुरक्षित निकास (इवैकुएशन) एवं समुदाय केंद्र का निर्माण

4.30 लक्षद्वीप के लिए एक सुरक्षित निकास (इवैकुएशन) एवं समुदाय केंद्र के निर्माण हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जा रही है।

भूस्खलन जोखिम प्रशमन स्कीम के लिए सर्वसमावेशी प्रायोगिक स्कीम (अंब्रेला पायलेट स्कीम)

4.31 12वीं योजना के भाग के रूप में, संवेदनशील राज्यों को अपने राज्य में कुछ प्रायोगिक परियोजनाओं को शुरु करने और अन्य परियोजनाएं चालू करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए इस स्कीम की परिकल्पना की गई। हर राज्य की स्थल–विशिष्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डी.पी.आर.) को तैयार करने के लिए एक सांचा (टेंपलेट) तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस डी.पी.आर. टेंपलेट् को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों/संस्थानों को परिचालित किया गया। इन डी.पी.आर. पर मार्च, 2016 में एन.डी.एम.ए. द्वारा गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी.ई.सी.) के माध्यम से तकनीकी मूल्यांकन हेतु विचार किया गया है।

राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति का प्रतिपादन (फॉर्मूलेशन)

4.32 राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के प्रतिपादन (फॉर्मूलेशन) हेतु विशेषज्ञों का एक कार्य–बल मार्च, 2016 में गठित किया गया। संकल्पना पत्र में दिए गए छह मुख्य घटक निम्नानुसार है:

i) प्रयोक्ता–सहायक भूस्खलन खतरा मानचित्रों का सृजन

ii) भूस्खलन मॉनिटरिंग और पूर्व चेतावनी प्रणाली (ई.डब्ल्यू.एस.) का विकास

iii) जागरूकता कार्यक्रम

iv) हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

v) पर्वतीय क्षेत्र के विनियम तथा नीतियों का बनाना

vi) भूस्खलनों की स्थिरता तथा उनका प्रशमन करना (स्टेबलाइजेशन एंड मिटिगेशन) और भूस्खलन प्रबंधन के लिए विशेष प्रयोजन इकाई (एस.पी.वी.) का सृजन ।

भारत में कार्टोग्राफिक बेस के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) को तैयार करना

4.33 भारत में कार्टोग्राफिक बेस के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) को तैयार करने का काम, विशेष कंटूर इंटरवलों के साथ, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गनाइजेशन (एन.ए.टी.एम.ओ.), कोलकाता को सौपा गया। एन.ए.टी.एम.ओ. द्वारा 1:10,000 और 1:2,000 के स्केलों पर मानचित्रों को तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी पर मसौदा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और एन.डी.एम.ए. द्वारा इनकी समीक्षा किए गए दस्तावेजों को भारत सरकार के 6 विशेषज्ञ संगठनों के एक समूह को संदर्भित किया गया है और उसके बाद दस्तावेज को फाइनल किया जाएगा।

एन.डी.एम.ए. में जी.आई.एस. सर्वर की स्थापना और जियो–डेटाबेस का सृजन

4.34 आपदा प्रबंधन की विभिन्न अवस्थाओं जैसे प्रशमन, तैयारी, मोचन, क्षति आकलन, राहत प्रबंधन तथा संसाधन सृजन, की प्रासंगिकता के परिप्रेक्ष्य में, जियो–डेटाबेस प्रणाली और जी.आई.एस. सर्वर की उपलब्धता होना प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए एक अनिवार्य इनपुट है। एन.डी.एम.ए. ने एक परियोजना शुरू की है जिसका नाम "एन.डी.एम.ए. में जी.आई.एस. सर्वर की स्थापना और जियो–डेटाबेस का सृजन" है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य आपदा मोचकों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर खतरा/आपदा संबंधित डेटाबेसों के साथ मदद देना है। इस परियोजना की लागत 3.03 करोड़ रुपए है। परियोजना की अवधि 24 मास है। कार्यान्वयन का काम शुरु कर दिया गया है।

120 स्थानों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेवा (एन.डी.एम.एस.) प्रायोगिक परियोजना

4.35 एन.डी.एम.ए. ने वी–सेट आधारित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेवा (एन.डी.एम.एस.) के सृजन से संबंधित एक परियोजना का कार्य हाथ में लिया है। इसमें 120 स्थानों जिनमें गृह मंत्रालय, एन.डी.एम.ए., एन.डी.आर.एफ. मुख्यालय, 36 राज्यों की राजधानियां और 81 संवेदनशील जिले शामिल हैं, को वी–सेट, एच.एफ., आई.एन.एम.ए.आर.–एस.ए.टी. आदि का उपयोग करके उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क की स्थापना द्वारा आपातस्थितियों में संचार नेटवर्क, क्षमता विकास करने के लिए, कवर किया जाएगा।

4.36 नेपाल के भूकंप के बाद, एन.डी.एम.ए. में 24x7 आधार पर राष्ट्रीय हेल्पलाइन संख्या 011–1078 स्थापित की गई, जिसे एन.डी.एम.ए. स्टाफ के साथ तैनात नागरिक सुरक्षा के कर्मचारियों द्वारा चलाया गया।

4.37 एन.डी.एम.ए वेबसाइट को, भारत मौसम विज्ञान विभाग की मौसम चेतावनी संग्रहालय सृजित वेब सेवाओं, तमिलनाडु बाढ़ हेल्पलाइन संख्या पृष्ठ, आपदा के दौरान बनाए गए आपातकालीन संपर्क संख्या पृष्ठ, एन.डी.एम.ए. पब्लिकेशन लिंक आदि जैसे फीचरों को शामिल/जोड़ने के लिए, अपग्रेड किया गया।

अध्याय-5

क्षमता विकास

प्रस्तावना

5.1 क्षमता विकास के रणनीतिक तरीके पर हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की सक्रिय और उत्साहवर्धक सहभागिता से ही कारगर ढंग से काम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जागरूकता सृजन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास (आर.एंड डी.) आदि शामिल हैं। इसमें समुचित संस्थागत रूपरेखा, प्रबंधन प्रणालियां और आपदाओं का कारगर निवारण तथा उनसे निपटने के लिए संसाधनों का आबंटन करना भी शामिल है।

5.2 क्षमता विकास के तरीके में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- प्रादेशिक विविधता और बहु–संकटीय संवेदनशीलताओं की दृष्टि से उनकी विनिर्दिष्ट जरूरतों के लिए, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियां विकसित करने के लिए, प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना।
- राज्यों और अन्य हितधारकों के सहयोग से, जिसमें राज्य और स्थानीय स्तर के प्राधिकारी कार्यान्वयन प्रभारी हों, परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों की अवधारणा बनाना।
- बेहतर कार्य–निष्पादन के रिकॉर्ड वाले ज्ञान–आधारित संस्थानों की पहचान करना।
- अंतरराष्ट्रीय और प्रादेशिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक और संसार की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
- योजनाओं को परखने के लिए टेबल टॉप अभ्यासों, अनुरूपणों (सिमुलेशंस), मॉक ड्रिलों तथा कौशल विकास पर जोर देना।
- राज्य/जिला/स्थानीय स्तरों पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों की क्षमता का विश्लेषण।

राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एन.एस.एस.पी.)

5.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भागीदारी से 'राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एन.एस.एस.पी.) – एक प्रदर्शनी परियोजना' को निम्नलिखित विशेषताओं के साथ भूकंपीय क्षेत्र IV तथा V में पड़ने वाले देश के 24 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 जिलों में 8600 स्कूलों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया:

- परियोजना में स्कूल सुरक्षा और जोखिम में कमी, खास तौर पर बच्चों के लिए, पर स्कूल में आपदा से निपटने की तैयारी और मानक आई.ई.सी. सामग्री पर अध्यापकों के प्रशिक्षण मॉडयूल को बनाना शामिल हैं।
- अध्यापकों, स्कूल स्टाफ, जिला प्रशासन के अधिकारियों, अभिभावकों और बच्चों सहित सामुदायिक सदस्यों को सुरक्षा तथा आपदा से निपटने की तैयारी के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई। अध्यापकों को परियोजना वाले जिलों में मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षण दिया गया।
- स्कूल आपदा प्रबंधन योजना को तैयार किया गया और कृत्रिम कवायदों (मॉक ड्रिल) का संचालन किया गया।
- गैर–संरचनात्मक उपाय तथा प्रदर्शनात्मक संरचनात्मक रेट्रोफिटिंग का काम किया गया।

- प्रायोगिक परियोजना के परिणाम–उन्मुखी अनुभव के बाद, कुछ राज्यों ने इस परियोजना को अपने क्षेत्राधिकार वाले अन्य जिलों तक बढ़ा दिया। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ने आई.ए.एस. अधिकारियों तथा केंद्रीय सेवा अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर क्षमता निर्माण

5.4 एन.डी.एम.ए. ने आपदा प्रबंधन केंद्र, एन.आई.ए.आर. और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के सहयोग से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आई.ए.एस. अधिकारियों तथा केंद्रीय सेवा अधिकारियों को रिफ्रेशर और ओरियंटेशन कार्यक्रम में नियमित अपडेटों के साथ बेसिक फाउन्डेशन ट्रेनिंग कोर्स के लिए आपदा प्रबंधन पर क्षमता निर्माण हेतु एक प्रायोगिक परियोजना शुरु की है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी अधिकारी जिनकी जिला कलक्टरों के पद पर तैनाती की संभावना है, को आपदा प्रबंधन में न्यूनतम स्तर का प्रशिक्षण मिले। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए, डी.आर.आर. पर नीति परिप्रेक्ष्य के बारे में फोकस जागरूकता पर है। परियोजना की लागत 4 वर्षों अर्थात 2013 से 2017 तक के लिए 2.16 करोड़ रुपए है।

भारत में उन्नत ट्रॉमा जीवन सहायता के लिए क्षमताओं को सुदृढ़ करना

5.5 हाल के दिनों में, एन.डी.एम.ए. ने 3 राज्यों (असम, आंध्र प्रदेश और बिहार) के लिए उन्नत ट्रॉमा जीवन सहायता के क्षेत्र में चिकित्सा तथा अर्द्ध चिकित्सा से जुड़े हुए पेशेवर लोगों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर एक कार्यान्वित किया। प्रायोगिक परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के आधार पर, उक्त परियोजना को कार्यान्वयन हेतु भारत के और 10 बहु–विपदाग्रस्त राज्यों नामतः हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एन.सी.टी. तक बढ़ा दिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य इन राज्यों में ट्रॉमा जीवन सहायता हेतु डॉक्टरों, नर्सों तथा अर्द्ध चिकित्सा स्टाफ की एक प्रतिबद्ध टीम विकसित करना है। कुल परियोजना परिव्यय 4.328 करोड़ रुपए है और इससे 31 महीनों में कार्यान्वित किया जाएगा।

भारत के 5 राज्यों में 10 बहु–विपदाग्रस्त जिलों में आपदा जोखिम में सतत् कमी

5.6 परियोजना का उद्देश्य 10 सर्वाधिक बहु–विपदाग्रस्त असुरक्षित जिलों में समुदाय और स्थानीय स्व–सरकार की तैयारी तथा मोचन को मजबूत करना है अर्थात 5 चिह्नित राज्यों (उत्तराखंड, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर) में प्रत्येक में 2 जिले। इस परियोजना की कुल लागत वर्ष 2016 से प्रारंभ 2 वर्ष की अवधि के लिए 6.074 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित कुछ निष्कर्षों में प्रत्येक जिले के लिए संपूर्ण आपदा जोखिम न्यूनीकरण/पुनर्बहाली योजना; इन पूरे चुनिंदा जिलों में जागरूकता तथा प्रचार अभियान; समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण मॉडयूलों को तैयार करना; जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन टीमों का निर्माण; सी.बी.डी.एम. पर प्रशिक्षकों/हितधारकों का प्रशिक्षण और इन चुने जिलों में मॉक ड्रिलों का संचालन करना शामिल हैं।

सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों पर प्रशिक्षण

5.7 'सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों से निपटने की तैयारी' पर एन.डी.एम.ए. भवन में फरवरी तथा सितंबर, 2015 के महीने में संसद भवन परिसर सुरक्षा स्टाफ के लिए दो सुग्राहीकरण कोर्सों का संचालन किया गया।

भारत हेतु आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन (पी.डी.एन.ए.) पर राष्ट्रीय परामर्श तथा अडवोकेसी वर्कशॉप (राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना के अंतर्गत)

5.8 18–22 मई, 2015 के दौरान इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना के अंतर्गत भारत हेतु आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन (पी.डी.एन.ए.) पर अध्ययन के मुख्य आउटपुट और फीडबैक तथा अनुमोदन लेने के लिए पी.डी.एन.ए. हैंडबुक फॉर इंडिया का मसौदा पेश करने के लिए एक राष्ट्रीय परामर्श तथा अडवोकेसी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। ए.डी.पी.सी. टीम ने परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) के साथ गहन विचार–विमर्श से परामर्श तथा अडवोकेसी वर्कशॉप के आयोजन में सहयोग दिया। विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राज्यों के 43 भागीदारों ने कार्यशाला में भाग लिया।

संग्रहालयों में आपदा जोखिम प्रबंधन

5.9 किसी संग्रहालय के लिए आपदा जोखिम योजना (डी.एम.पी.) बहुत जरूरी है। यह उन लोगों जो संग्रहालय के प्रबंधन के काम से जुड़े हैं, को किसी संग्रहालय में संभव विभिन्न आपदाओं के बारे में, रोकथाम प्रक्रियाओं, आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण, तथा संग्रहालय की वस्तुओं के लिए आपदा पश्चात् प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराता है। इस संदर्भ में भारतीय संग्रहालय तथा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ने संयुक्त रूप से एन.डी.एम.ए. के सहयोग से कोलकाता में 29 फरवरी – 01 मार्च, 2016 के दौरान 'संग्रहालयों में आपदा जोखिम प्रबंधन' पर एक दो–दिवसीय आपदा प्रबंधन तैयारी कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला का उद्देश्य संग्रहालय के रखरखाव के लिए उत्तरदायी क्यूरेटर, सुरक्षा कार्मिकों, प्रशासन तथा अन्य हितधारकों को डी.एम.पी. तैयार करने हेतु प्रशिक्षण देना था।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर दक्षिण एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास एवं क्षेत्रीय कार्यशाला

5.10 भारत सरकार ने सार्क देशों के बीच क्षेत्रीय आपदा मोचन तंत्र को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु दिनांक 23 से 26 नवंबर, 2015 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/दिल्ली में पहली 'दक्षिण एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास (साडमेक्स–2015)' की मेजबानी की। इस अभ्यास में आठ सार्क राष्ट्रों (अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) में से प्रत्येक देश की बचाव टीमों तथा शिष्टमंडलों की भागीदारी को दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस अभ्यास का संचालन एन.डी.आर.एफ. द्वारा किया गया। पहले दिन, टेबल टॉप सत्रों के दौरान अलग प्रकार की आपदा परिस्थितियों का अनुरूपण (सिमुलेशन) किया गया और एकल के साथ–साथ संयुक्त मोचन उपायों पर चर्चा की गई। दूसरे दिन, भागीदार देशों की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए गाजियाबाद में क्षतिग्रस्त इमारत खोज तथा बचाव (सी.एस.एस.आर.) के लिए मोचन अभ्यास किया गया जिसके बाद तीसरे दिन ग्रेटर नौएडा में रासायनिक आपातस्थिति में मोचन पर एक प्रदर्शन किया गया। आखिरी दिन, सीखे गए महत्वपूर्ण सबकों के दस्तावेज तैयार करने के लिए डिब्रीफिंग और कार्रवाई पश्चात् समीक्षा (ए.ए.आर.) का संचालन किया गया जो सदस्य देशों को आपदा से निपटने की तैयारी, मोचन तथा समन्वय के मौजूदा तथा संयुक्त स्तरों को बढ़ाने में सहायक होगा।

5.11 साडमेक्स के दौरान टेबल टॉप तथा संयुक्त सिमुलेशन अभ्यास के माध्यम से सघन बातचीत के चार दिनों के सत्रों के बाद, सभी आठ सार्क सदस्य देश ने 27 नवंबर, 2015 को सर्वोत्तम प्रथाओं पर परिचर्चा तथा विचार–विमर्श के लिए एकत्रित हुए। इस क्षेत्रीय कार्यशाला की भारत सरकार ने मेजबानी की। इस कार्यशाला के तकनीकी सत्र हुए जहां आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सर्वोत्तम प्रथाओं से जुड़े विषयों तथा सेन्डाई रूपरेखा की पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय आपदा में मोचन की मजबूती पर विस्तार से सदस्यों देशों द्वारा विचार–विमर्श किया गया।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.)

5.12 एन.डी.आ.एफ. के अधिकारियों हेतु राज्य/जिलों में कृत्रिम अभ्यास एवं आई.आर.एस. के संचालन पर एन.डी.एम.ए. द्वारा 22–23 अप्रैल, 2015 को एक दो–दिवसीय टी.ओ.टी. कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एन.डी.आर.एफ. की बटालियनों से कुल 180 भागीदारों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

ए.एन.ओ. (एन.सी.सी.), नेहरु युवा केंद्र संगठन, नागरिक सुरक्षा तथा होमगार्डों का प्रशिक्षण

5.13 नियमित आधार पर एन.सी.सी. के कैडटों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण देने की संकल्पना को पुनः लागू करने के लिए, एन.डी.एम.ए. ने एन.डी.आर.एफ. की बटालियनों की मदद से ए.एन.ओ. (एन.सी.सी.), नेहरु युवा केंद्र संगठन, नागरिक सुरक्षा तथा होमगार्डों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया है। पहला प्रशिक्षण 15 से 17 दिसंबर, 2015 तक संचालित किया गया और 190 व्यक्तियों को प्रशिक्षण किया गया। दूसरा, ट्रेनिंग केप्सूल का आयोजन 28 से 30 जनवरी,

2016 तक किया गया है। उक्त कार्यक्रम में कुल 120 लोगों ने भाग लिया।

नए सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना के लिए एक ड्राफ्ट ब्लू प्रिंट तैयार करना

5.14 नए सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना के लिए एक ड्राफ्ट ब्लू प्रिंट कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के परामर्श से तैयार किया गया और आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे विदेश मंत्रालय भेजा गया। इसके अतिरिक्त इस ब्लू प्रिंट पर सदस्य देशों के विशेषज्ञ समूह की बैठक में विचार किया गया और उसे अनुमोदित किया गया। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र में पांच महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल होंगे जिनमें क्षमता विकास और ज्ञान प्रबंधन शामिल हैं और इस केंद्र की स्थापना एक चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।

अध्याय-6

कृत्रिम अभ्यास/कवायद एवं जागरूकता सृजन

प्रस्तावना

6.1 यह मानते हुए कि आपदा प्रबंधन और समुदाय तैयारी के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण का आधार जागरूकता है, एन.डी.एम.ए. ने इस संबंध में अनेक पहलें आरंभ की/कदम उठाए हैं। चालू कार्यक्रम के रूप में, कृत्रिम अभ्यास/ड्रिलें, जिला/उद्यम स्तरों पर जागरूकता सृजन, योजना बनाने तथा संसाधनों में मौजूद खामियों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं। आपदा जोखिमों और असुरक्षितताओं के बारे में समुदाय को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। जागरूकता सृजन पर ध्यान केंद्रित किए जाने के लिए साक्षात्कार लेख और प्रेस विज्ञप्तियां जारी किए जा रहे हैं। कृत्रिम अभ्यास उठाए गए अति महत्त्वपूर्ण कदमों में से एक है जिसे एन.डी.एम.ए. ने प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं, दोनों के लिए आपदा प्रबंधन की अपनी कारगरता की समीक्षा करने में राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को सुकर बनाने हेतु उठाया है और जन जागरूकता सृजित करने के साथ मोचन क्षमताओं का मूल्यांकन करना आरंभ किया है। ये अभ्यास राज्य सरकारों की सिफारिशों पर अति संवेदनशील (असुरक्षित) जिलों और उद्योगों में संचालित किए जाते हैं।

कृत्रिम अभ्यास

6.2 कृत्रिम अभ्यासों का उद्देश्य आपातकालीन मोचन योजनाओं की पर्याप्तता तथा प्रभावोत्पादकता की जांच करना, प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर संबद्ध हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख करना, विभिन्न आपातकालीन सहायता कार्यों के प्रयासों के समन्वयन को वर्धित करना, तथा उन्हें सह–क्रियाशील बनाना, संसाधनों, जन शक्ति, उपस्कर, संचार और प्रणालियों में खामियों का पता लगाना है। यह अभ्यास अति संवेदनशील वर्गों को भी आपदाओं का पूर्ण रूप से सामना करने के लिए सशक्त बनाते हैं। अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान भूकंप, बाढ़, चक्रवात, रासायनिक तथा औद्योगिक खतरों जैसे विभिन्न परिदृश्यों पर कुल 32 कृत्रिम अभ्यासों का संचालन किया गया। वर्ष 2006 से एन.डी.एम.ए. द्वारा पूरे देश में कुल 516 कृत्रिम अभ्यासों का संचालन किया गया है।

6.3 ये अभ्यास चरण–दर–चरण (स्टेप–बाई–स्टेप) तरीके को अपनाकर एक सुनियोजित और व्यापक रीति से आयोजित किए जाते हैं। प्रारंभिक चरण में, विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को उजागर करने के लिए विषय–अनुकूलन एवं समन्वयन सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अगले चरण में, अनुकरण किए गए परिदृश्यों में हितधारकों की कार्रवाई जानने के लिए एक टेबल टॉप अभ्यास किया जाता है। संपूर्ण आपदा प्रबंधन चक्र को कवर करने के लिए इन परिदृश्यों को निरूपित किया जाता है। इस चरण के अंत में, जो सबक निकलकर आते हैं वे सभी सहभागियों से साझा किए जाते हैं और सहभागियों को उनकी प्रतिक्रियाएं जानने के लिए काफी समय दिया जाता है तथा कृत्रिम अभ्यास के वास्तविक संचालन से पहले उनके अधीनस्थों को प्रशिक्षित किया जाता है। अभ्यास परिकल्पित परिदृश्य के आधार पर किया जाता है तथा विभिन्न सहभागियों की कार्रवाई को ध्यान में रखकर वह उत्तरोत्तर बढ़ता है। उस अभ्यास को मॉनिटर करने के लिए अनेक प्रेक्षकों को भी रखा जाता है तथा सहभागियों के अलावा, समाज से आए दर्शकों और हितधारकों को भी कृत्रिम अभ्यास देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कृत्रिम अभ्यास के बाद विस्तृत जानकारी (डिब्रीफिंग) दी जाती है जिसमें प्रेक्षकों से अपना फीडबैक देने के लिए कहा जाता है। इन अभ्यासों में पाई गई कमियों के बारे में राज्य और जिला प्रशासन को और विभिन्न उद्योगों के प्रबंधन संवर्ग को भी संसूचित किया जाता है।

6.4 जमीनी स्तर पर तैयारी की संस्कृति पैदा करने में कृत्रिम अभ्यास बड़ा सहायक रहा है। इनमें से अधिकांश अभ्यासों में समुदाय और छात्रों ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया है। इन अभ्यासों में भाग लेने के लिए जिला प्रशासन, कार्पोरेट सेक्टर और अन्य प्रथम मोचकों (फर्स्ट रिस्पोंडर्स) ने अपार उत्साह दर्शाया है। इन अधिकांश अभ्यासों में निर्वाचित जन प्रतिनिधि और राज्य के स्तर पर वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। इन अभ्यासों का स्थानीय प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया ने भी जमकर प्रचार किया और इस प्रकार उन्होंने लोगों की बड़ी संख्या में जागरूकता फैलाने का काम किया।

जागरूकता अभियान

6.5 आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के अपने प्रयास में जनसंपर्क एवं जागरूकता सृजन (पी.आर एंड ए. जी.) प्रभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है। ये जागरूकता अभियान विभिन्न संचार माध्यमों जैसे दूरदर्शन (टी.वी.), रेडियो, प्रिंट–मीडिया, प्रदर्शनी आदि के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन जागरूकता अभियानों को दो निम्नलिखित प्रधान उद्देश्यों के साथ जनता के बीच जागरूकता का प्रसार करने पर केंद्रित किया गया है:

- किसी भी आसन्न आपदा (भूकंप, चक्रवात बाढ़, भूस्खलन आदि) से निपटने के लिए देश के नागरिकों को तैयार करना।
- एन.डी.एम.ए. के विभिन्न कार्यकलापों के बारे में जागरूकता फैलाना।

6.6 वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान चलाए गए।

श्रव्य–दृश्य (ऑडियो–विजुअल) जागरूकता अभियान

6.7 भूकंप, बाढ़, शहरी बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान क्या करें तथा क्या न करें पर ऑडियो–वीडियो स्पॉट तैयार करके उन्हें जागरूकता अभियान का हिस्सा बनाया गया और उनका दूरदर्शन (दूरदर्शन का राष्ट्रीय नेटवर्क और प्रादेशिक केंद्र), लोकसभा टी.वी. चैनल, आकाशवाणी (रेडियो), एफ.एम. रेडियो चैनलों पर प्रसारित किया गया। इसके अलावा, बाढ़–ग्रस्त क्षेत्रों में 713 डिजिटल सिनेमा क्लिपों के माध्यम से भी बाढ़ अभियान चलाया गया।

प्रिंट अभियान

6.8 जागरूकता सृजन के लिए प्रिंट मीडिया का, विभिन्न अखबारों में विज्ञापन निकाल कर, उपयोग किया गया है। 11 राज्यों में बाढ़ से निपटने की तैयारी पर जागरूकता सृजन हेतु विज्ञापन जारी किए गए। 28 सितंबर, 2015 को एन.डी.एम.ए. के 11वें स्थापना दिवस के मौके पर, दिल्ली में विज्ञापन जारी किया गया। 29 अक्तूबर, 2015 को राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के मौके पर अंग्रेजी तथा हिंदी अखबारों (दिल्ली संस्करण) के साथ–साथ प्रत्येक राज्य की राजधानी के अखबार (क्षेत्रीय भाषाओं में) में आपदा जोखिम से निपटने की तैयारी पर एक विज्ञापन का प्रकाशन किया गया।

एन.डी.एम.ए. के 11वें स्थापना दिवस का मनाया जाना

6.9 दिनांक 28 सितंबर, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। देश के संपूर्ण शासन प्रतिमान (मॉडल) में आपदा प्रबंधन को मुख्य स्थान देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में, 28 सितंबर, 2005 को एन.डी.एम.ए. की स्थापना हुई थी।

6.10 एन.डी.एम.ए. ने अपने द्वारा किए गए कार्यकलापों और उठाए गए कदमों का एक जायजा लिया तथा भविष्य के लिए एक कार्य–योजना तैयार करने के लिए परिचर्चाएं आयोजित की।

6.11 श्री किरन रिजिजू, माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और एन.डी.एम.ए. द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में उठाए जा रहे विभिन्न कदमों की सराहना की और भारत को आपदा से जूझने में सक्षम बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। माननीय मंत्री ने इस अवसर पर 'आपातकालीन प्रबंधन अभ्यासों का संचालन कैसे करें' पर प्रशिक्षण मैनुअल भी जारी किया। इस मैनुअल से राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों को सामयिक मोचन के लिए एक तार्किक ढंग से आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास का संचालन करने में मदद मिलेगी।

6.12 उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र आयोजित किए गए जिनमें चार महत्वपूर्ण विषयों–चक्रवात, भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन को शामिल किया गया। हर सत्र में, एन.डी.एम.ए. द्वारा प्रारंभिक प्रस्तुति (व्याख्यान) दी गई, जिसके बाद राज्य सरकार के अधिकारियों तथा विशेषज्ञों द्वारा विषयों पर विचार व्यक्त किए गए। 'चक्रवात जोखिम प्रशमन' पर सत्र में, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों और मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधियों की ओर से विचार व्यक्त किए गए। गुजरात, सिक्किम की राज्य सरकारों और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 'भूकंप जोखिम प्रशमन' पर विचार व्यक्त किए। 'बाढ़ जोखिम प्रशमन' पर सत्र में असम तथा बिहार की राज्य सरकारों, केंद्रीय जल आयोग तथा आई.आई.टी., कानपुर ने अपने विचार व्यक्त किए। भूस्खलनों पर सत्र में उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों और भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधियों ने अपनी प्रस्तुतियां (प्रेजंटेशन) दीं। इन प्रेजंटेशन्स के बाद प्रश्नोत्तर सत्रों तथा परिचर्चा का आयोजन किया गया।

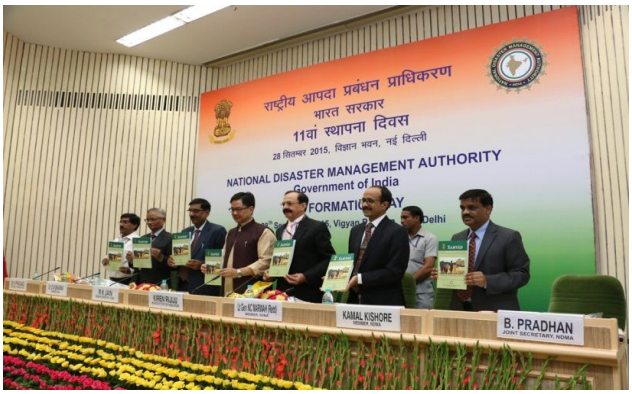

6.13 दिन भर चले विचार–विमर्श सत्र का समापन माननीय प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव के एक सारांश व्याख्यान तथा विदाई संबोधन के साथ हुआ। एन.डी.एम.ए. ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में लगे विभिन्न हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की सूचना तथा ज्ञान–वर्द्धन के लिए तिमाही अखबार (न्यूजलेटर) 'संवाद' को भी शुरु किया।

6.14 परिचर्चाओं तथा विचार–विमर्श से दीर्घावधिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुख्य कार्य बिंदुओं और आगामी परियोजनाओं जैसे राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना तथा राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना से तादात्मय (आइडेंटिफिकेशन) स्थापित किया गया। विचार–विमर्शों में आपदा के दौरान जान–माल बचाने के लिए तथा उसके नुकसान में कमी लाने के लिए संचार प्रणाली, पूर्व चेतावनी तथा सर्वत्र संपर्कता (लास्ट माइल कनेक्टिविटि) में प्रचुरता/पर्याप्तता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया।

35वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2015 में एन.डी.एम.ए. द्वारा भाग लेना

6.15 14 से 27 नवंबर, 2015 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 35वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2015 में एन.डी.एम.ए. ने भाग लिया और पवेलियन के अंदर डिस्प्ले पैनलों तथा कियास्को तथा भूकंप को दर्शाने के लिए एक शेक टेबल (हिलती मेज) रख कर, आम जनता, छात्रों तथा विभिन्न हितधारकों के बीच आपदाओं की विभिन्न किस्मों के बारे में जागरूकता का प्रसार किया। इसका उद्देश्य नागरिकों को सुग्राहीकृत करना और तीन संगठनों –एन.डी.एम.ए., एन.डी.आर.एफ., एन.आई.डी.एम. जो आपदा प्रबंधन के काम में लगे हैं, के कार्यकलापों के बारे में आवश्यक जागरूकता फैलाना था।

6.16 प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव ने 14 नवंबर, 2015 को एन.डी.एम.ए. की पवेलियन (स्टॉल) का उद्घाटन किया। मेले के दौरान, विभिन्न आपदाओं पर –क्या करें एवं क्या न करें–से संबंधित पोस्टरों तथा एन.डी.एम.ए. के दिशानिर्देशों (गाइडलाइंस) का प्रदर्शन किया गया। दर्शकों में भूकंप जागरूकता पर तैयार किए गए पर्चों (पैंफ्लेटों) को बांटा गया। मेले के दौरान स्कूली बच्चों के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं तथा चित्रकारी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। एन.आई.डी.एम. ने अपने कार्यकलापों पर पैनलों का प्रदर्शन किया तथा एन.डी.आर.एफ. ने खोज एवं बचाव उपकरण प्रदर्शित किए है।

कारगर आपदा मोचन हेतु केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के हितधारकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास का संचालन

6.17 28 मई, 2015 और 16 अक्तूबर, 2015 को राष्ट्रीय स्तर पर दो टेबल टॉप अभ्यासों और घटना कार्रवाई प्रणाली (आई.आर.एस.) प्रशिक्षणों का संचालन किया जिनमें कारगर बहु–एजेंसी समन्वय के लिए केंद्रीय सरकार के नोडल विभाग/मंत्रालय शामिल थे। उन्होंने अपने मंत्रालयों/विभागों में कारगर संसाधन प्रबंधन, बहु–एजेंसी समन्वयन तथा जागरूकता सृजन हेतु सभी हितधारकों की भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों के स्पष्टीकरण हेतु एकीकृत कमान की स्थापना के लिए घटना कार्रवाई प्रणाली के सिद्धांत पर चर्चा की गई।

आपदा प्रबंधन जागरूकता प्रशिक्षण

6.18 राष्ट्रीय नीति दृष्टिकोण पत्र (एन.डी.एम.ए. द्वारा तैयार किया गया) की एक सिफारिश आपदा प्रबंधन के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन के साथ एन.सी.सी. तथा नेहरु युवा केंद्र संगठन को एकीकृत करना है। एन.डी.एम.ए. के पर्यवेक्षण में, पूरे देश में एन.सी.सी. कैडेटों को उनके शिविर स्थानों पर आपदा प्रबंधन जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया है। लगभग 40,000 कैडेटों को सुग्राहीकृत किया गया। यह प्रशिक्षण राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नागरिक सुरक्षा तथा अग्निशमन सेवाओं के माध्यम से दिया जा रहा है।

मॉनसून स्थितियों का आकलन करना

6.19 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में देश में मॉनसून स्थितियों (जून–सितंबर, 2015) की समीक्षा करने के लिए पंद्रह साप्ताहिक बैठकों का आयोजन किया गया। प्रभावित राज्यों के रेजिडेंट कमिश्नरों/प्रतिनिधियों ने बैठकों में भाग लिया और उन्हें आई.एम.डी. और सी.डब्ल्यू. सी. के अधिकारियों ने ब्रीफ किया। एन.डी.आर.एफ. की तैनाती की समीक्षा की गई और स्थिति से निपटने के लिए एन.डी.एम.ए. द्वारा जरूरी हिदायतें जारी की गईं।

अध्याय-7

राष्ट्रीय आपदा मोचन बलः आपदा मोचन के कार्य को सुदृढ़ करना

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

7.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44 और 45 के उपबंधों के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) ने स्वयं को एन.डी.एम.ए. के एक सर्वाधिक दृष्टिगोचर और जीवन्त बल के रूप में स्थापित कर लिया है। एन.डी.आर.एफ. की दस बटालियनें, अपनी तैनाती के लिए कार्रवाई में लगने वाले समय को घटाने हेतु असुरक्षितता विवरण के आधार पर, देश के दस विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। चालू वर्ष (2015–2016) के दौरान, केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित एन.डी.आर.एफ. की दो और बटालियनों के लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने 11वीं एन.डी.आर.एफ. बटालियन के लिए हरिद्वार में भूमि उपलब्ध कराने के लिए सिद्धांततः सहमति दे दी है। 12वीं बटालियन को पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है। एन.डी.आर.एफ. की वर्तमान दस बटालियनों के स्थान नीचे दर्शाए गए अनुसार हैं:

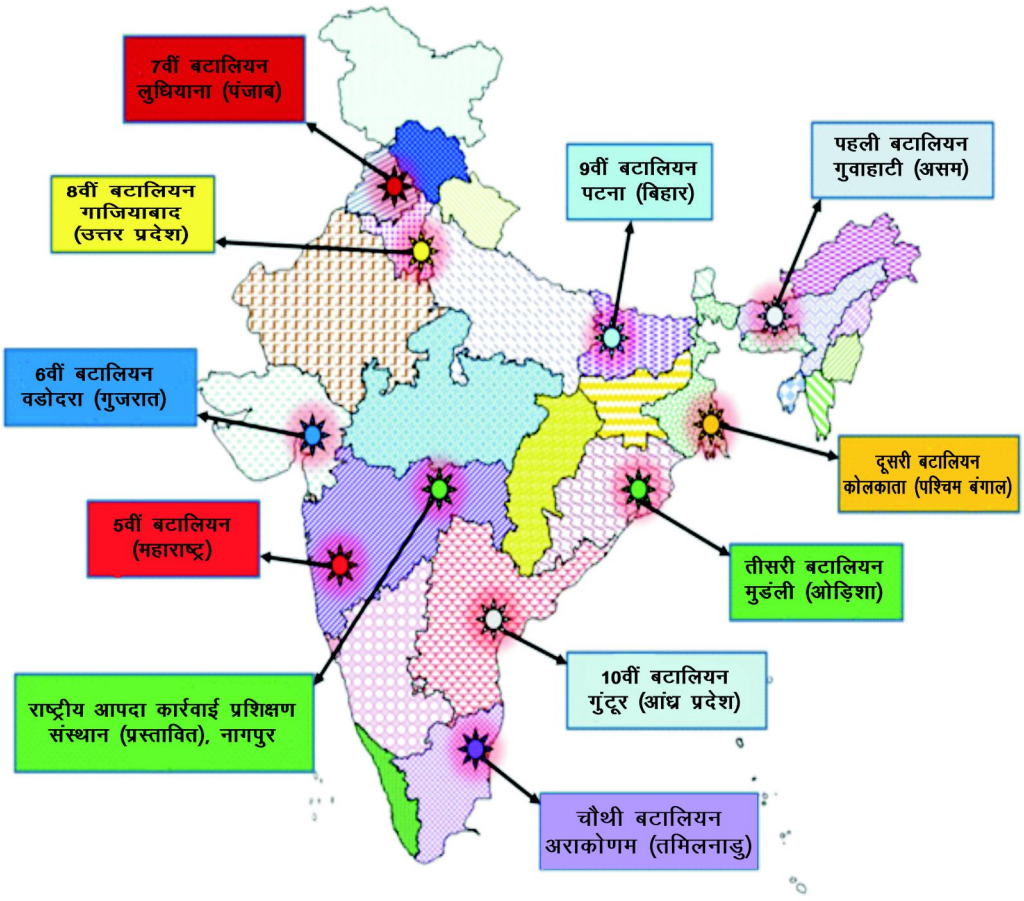

7.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं पर विशेष मोचन के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) के गठन के लिए सांविधिक उपबंध बनाए गए हैं। अधिनियम की धारा 45 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के व्यापक अधीक्षण, निदेशन और

नियंत्रण के अधीन और महानिदेशक, एन.डी.आर.एफ. की कमान और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना है। अधिनियम की धारा 44 (i) में निहित दूरदृष्टि (विजन) के साथ एन. डी.आर.एफ. धीरे–धीरे सभी प्रकार की प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं से निपटने में सक्षम एन.डी.एम. ए. के सर्वाधिक दृष्टिगोचर और जीवंत, बहु–विषयक, बहु–कुशल, उच्च तकनीक–प्राप्त बल के रूप में उभर रहा है।

दूरदृष्टि (विजन)

7.3 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 रोकथाम, प्रशमन और तैयारी पर बल देने के साथ–साथ आपदाओं के सकारात्मक, संपूर्ण और एकीकृत प्रबंधन के तत्कालीन मोचन–केन्द्रित संलक्षण (सिंड्रोम) में आमूलचूल परिवर्तन पर विचार करता है। यह राष्ट्रीय दूरदृष्टि, अन्य बातों के साथ–साथ, सभी हितधारकों के बीच तैयारी की संस्कृति पैदा करने का लक्ष्य रखती है। एन.डी.आर.एफ. ने विभिन्न हितधारकों के साथ कृत्रिम ड्रिलों और संयुक्त अभ्यासों द्वारा संबंधित एन.डी.आर.एफ. बटालियनों के उत्तरदायित्व के क्षेत्र के भीतर उच्च कौशल–युक्त बचाव और राहत अभियान, नियमित और गहन प्रशिक्षण और पुनःप्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और परिचय अभ्यासों द्वारा इस दूरदृष्टि को प्राप्त करने में अपना महत्त्व सिद्ध किया है।

एन.डी.आर.एफ. की भूमिका

- आपदाओं के दौरान विशिष्ट मोचन
- आसन्न आपदा स्थितियों के दौरान सकारात्मक तैनाती
- अपने प्रशिक्षण और कौशलों का अर्जन और सतत् उन्नयन
- संपर्क, टोह (सर्वेक्षण), रिहर्सल और मॉक ड्रिल
- राज्य मोचन बल (पुलिस), नागरिक सुरक्षा और होमगार्डों को बुनियादी और प्रचालन स्तर का प्रशिक्षण देना
- राज्य पुलिस का प्रशिक्षण और राज्य आपदा मोचन बल (एस.डी.आर.एफ.) बनाने में सहायता

समुदाय के साथ

- सामुदायिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- जन जागरूकता अभियान
- प्रदर्शनियाँः पोस्टर, पैम्फलेट आदि। ग्रामीण स्वयंसेवकों एवं अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण।

संगठन

7.4 प्रारंभ में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) का गठन आठ बटालियनों (बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ. और आई.टी.बी.पी., प्रत्येक में से दो–दो बटालियन लेकर) के साथ किया गया था, 2011–12 में 2 अतिरिक्त बटालियन शामिल की गई थीं: तथा 2013–14 में 2 और बटालियन शामिल की गईं। आज इस बल को "संसार के एकल विशालतम प्रतिबद्ध आपदा मोचन बल" होने की अनोखी विशिष्टता अर्जित कर ली है।

7.5 प्रत्येक बटालियन में इंजीनियर, तकनीशियन, इलेक्ट्रीशन, श्वान दल (डॉग स्क्वाड) और चिकित्सा/अर्द्ध चिकित्सा स्टाफ समेत प्रत्येक में खोज और बचाव दल के 44 कार्मिक और 18 स्वतःपूर्ण (सेल्फ–कन्टेन्ड) विशेषज्ञ हैं। प्रत्येक बटालियन की कुल स्टाफ संख्या लगभग 1,149 हैं। सभी बटालियनें भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन आदि सहित प्राकृतिक आपदाओं और रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन) आपदाओं से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निपटने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित हैं।

7.6 इसके अलावा, क्षेत्र की असुरक्षितता रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए देश के 20 दूर–दराज के दुर्गम स्थानों और संवेदनशील महानगरों में एन.डी.आर.एफ. टीमों/कंपनियों को तैनात करने के बारे में 9 नवंबर, 2011 को सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार, एन.डी.आर.एफ. टीमों/कंपनियों की तैनाती के लिए उचित भूमि तलाश करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एन.डी.आर.एफ. टीमों/कंपनियों की तैनाती की प्रास्थिति निम्नानुसार हैः

एन.डी.आर.एफ. बटालियन	टीमें / कंपनियां	प्रास्थिति
एन.डी.आर.एफ. बटालियन गुवाहाटी	आइजॉल (मिजोरम)	मिजोरम सरकार से उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
	ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)	अरुणाचल प्रदेश सरकार से उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन कोलकाता	गंगटोक (सिक्किम)	सिक्किम सरकार से उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
	सिलिगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	परिवहन नगर, माटीगाढ़ा में 1 एकड़ की भूमि के अधिग्रहण का काम प्रक्रियाधीन है।
	कोलकाता (पश्चिम बंगाल) सी.बी. आर.एन. टीम	राज्य सरकार ने मौजा मंडलगंथी, जिला 24 परगना (उत्तरी) कोलकाता में 0.94 एकड़ भूमि का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार द्वारा देय भूमि के मूल्य से संबंधित विवरण की प्रतीक्षा है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन मुंडली	बालेश्वर (ओडिशा)	राज्य सरकार ने बालेश्वर में अवसंरचना तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए उपयुक्त सेटअप को तलाश किया जा रहा है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन अराकोणम	पोर्ट ब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार)	राज्य सरकार आई.आर.बी. में मुफ्त आवास उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है। टीम को पोजिशन दी जा रही है।
	चेन्नई (तमिलनाडु) सी .बी.आर.एन. टीम	राज्य सरकार ने किराया आधार पर स्थान देने की पेशकश की है। लीज डीड के बाद टीम तैनात की जाएगी।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन पुणे	बंगलौर (कर्नाटक)	बंगलौर में 2 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। स्थायी / अर्द्ध–स्थायी भवन (स्ट्रक्चर) के निर्माण के बाद टीम को तैनात किया जाएगा।
	मुम्बई (महाराष्ट्र)	राज्य सरकार ने बोरीवली और मनखुर्द में स्थान देने की पेशकश की है। वहां उपयुक्तता आकलन के बाद टीम तैनात की जाएगी। वर्तमान में, अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की 3 टीमें स्थायी रूप से तैनात की गई हैं।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन गांधीनगर	गांधीनगर (गुजरात)	राज्य सरकार ने देगाम में भूमि (लगभग 6 एकड़) देने का प्रस्ताव किया है।
	बाड़मेर (राजस्थान)	राज्य सरकार से उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अस्थायी रूप से टीम को नरेली, किशन गढ़ में तैनात किया गया है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन भटिंडा	श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)	राज्य सरकार द्वारा अभी भूमि उपलब्ध करायी जानी है।
	कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	भूमि के आबंटन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

एन.डी.आर.एफ. बटालियन गाजियाबाद	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	राज्य सरकार से उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
	दिल्ली (सी.बी.आर.एन. टीम)	डी.डी.ए. को भूमि के लिए भुगतान कर दिया गया है। कब्जा लेना अभी बाकी है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन पटना	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	राज्य सरकार के विचारों के अनुसार एन.डी.एम.ए. ने गृह मंत्रालय से स्थल को वाराणसी से बदलकर गोरखपुर करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
	सुपौल (बिहार)	राज्य सरकार ने 2 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार से अंतिम प्रस्ताव प्राप्त करना प्रतीक्षित है।
एन.डी.आर.एफ. बटालियन गुंटूर	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	भूमि आंबटन प्रक्रियाधीन है। अस्थायी रूप से, एक टीम रंगारेड्डी में तैनात है।
	विशाखापट्टनम	राज्य सरकार को अभी भूमि उपलब्ध करानी है।

जान्सकर उप–डिवीजन, जम्मू एवं कश्मीर में फुटकल नदी की हिमस्खलन के कारण हुई अवरुद्धता (ब्लॉकेज) को दूर करना (क्लियरेंस)

7.7 15 जनवरी को सिंधु नदी (इंडस रिवर) की सहायक नदी फुटकल एक बड़े हिमस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गई। हिमस्खलन के कारण एक कृत्रिम झील बन गई। जलाशय में दरार पड़ने का खतरा होने की संभावना थी जिससे अचानक बाढ़ आ सकती थी। संभावित आपदा से स्थानीय आबादी की जान–माल तथा आजीविका को भारी खतरा पैदा हो सकता था। स्थिति का निरीक्षण करने और उपचारात्मक उपायों को सुझाने के लिए एन.डी.एम.ए. ने बी.आर.ओ., एन.एच.पी.सी., सी.आई.एम.एफ.आर., सी.डब्ल्यू.सी., एस.ए.एस.ई., एस.ओ.आई., एन.डी.एम.ए., आर्मी इंजीनियर रेजिमेंट, भारतीय वायु सेना तथा राज्य प्रशासन से लिए गए तकनीकी कार्मिकों की एक विशेषज्ञ टीम का गठन किया। कठिन इलाकों और प्रचंड जलवायु परिस्थितियों में बहादुरी से काम करते हुए, विशेषज्ञ टीम में 100 मीटर लंबी तथा 2 मीटर चौड़े नाले (चैनल) की जगह को तैयार किया और फुटकल नदी में हिमस्खलन के कारण जमा पानी की भारी मात्रा को उस चैनल में छोड़ा गया। अनुप्रवाह नदी में जल–स्तर को मॉनिटर करने के लिए, ब्लॉकेज से 18 किलोमीटर नीचे की तरफ फुटकल गोंपा में एक स्वतः जल–स्तर रिकॉर्डर (ए.डब्ल्यू.एल.आर.) इंस्टॉल किया गया। फुटकल के अभियान के बाद, एन.डी.एम.ए. ने पहाड़ी राज्यों, सी.डब्ल्यू.सी. तथा अन्य विभागों के प्रतिनिधियों के परामर्श से 'पर्वतीय क्षेत्रों में बांधों/नदियों पर हिमस्खलन के कारण उत्पन्न खतरों को टालना' पर मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी की है और उसे पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया है।

अभियान मैत्री–नेपाल भूकंप 2015

7.8 अप्रैल, 2015 के दौरान जिंदगियों तथा अवसंरचना को भारी नुकसान पहुचाने वाले नेपाल में आई हिमालयी भूकंप की त्रासदी के बाद एन.डी.एम.ए. ने एन.डी.आर.एफ. की तैनाती का समन्वयन किया, राहत और बचाव अभियानों को मॉनिटर किया तथा भारत सरकार (केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्यों और गैर सरकारी संगठनों) द्वारा नेपाल को तथा भारत के प्रभावित राज्यों को 386 करोड़ रुपए की राहत सामग्रियां भिजवाई। एन.डी.एम.ए. ने नीचे दिए गए सार के अनुसार तकनीकी मार्गदर्शन तथा निरीक्षण प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ टीमें बनाईः

- बिल्डिंगों के क्षति आकलन और संरचनात्मक सुरक्षा उपायों के लिए तकनीकी सलाह प्रदान करने हेतु आई.आई.टी. और केंद्रीय भवन

अनुसंधान संस्थान (सी.बी.आर.आई.) से 5 स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विशेषज्ञों की टीम (09 मई–14 मई, 2015)

- आपदा पश्चात् आवश्यकता आकलन (पी.डी.एन.ए.) और पुनर्बहाली हेतु रूपरेखा के प्रतिपादन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता हेतु 4 आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों की टीम (16 मई–30 जून, 2015)
- नेपाल में बिल्डिंगों तथा महत्वपूर्ण आधार–ढांचे के नुकसान के संबंध में पी.डी.एन.ए. हेतु सैक्टोरल टीम का हिस्सा बनने के लिए ए.एस.आई., सी.डब्ल्यू.सी., आई.एम.डी. और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलोजी बी.आर.ओ.,पी.जी.सी.आई.एल. और आई.आई.टी., चेन्नई से 4 विशेषज्ञों की टीमें (25 मई–07 जून, 2015)
- असुरक्षित बिल्डिंगों को गिराए जाने पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एन.बी.सी.सी. से 2 विशेषज्ञ (28 मई–30 मई, 2015)
- हिमस्खलनों तथा बाढ़ के लिए असुरक्षितता आकलन पर तकनीकी मार्गदर्शन हेतु जी.एस.आई., इसरो, एस.ए.एस.ई.–डी.आर.डी.ओ., सी.डब्ल्यू.सी., आई.एम.डी. और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलोजी, प्रत्येक में से एक विशेषज्ञ को शामिल करके बनाई गई टीम (03 जून–07 जून, 2015)।

7.9 भारत सरकार के निर्देशों पर विभिन्न भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) ने अपनी 16 यू.एस.ए.आर. टीमों (08 बटालियनों की 03 टीमें, 07 बटालियनों की 04 टीमें, 08 बटालियनों की 03 टीमें, 02 बटालियनों की 03 टीमें और 09 बटालियनों की 03 टीमें) को तैनात किया जिनमें नवीनतम गैजटों के साथ यू.एस.ए.आर. अभियान में प्रशिक्षित 18 कुत्तों सहित 700 से अधिक बचाव–कर्ता शामिल थे। 'मानवीय सहायता तथा आपदा राहत (एच.ए.डी.आर.)' के काम में नेपाली प्राधिकरण को मदद देने के लिए इन टीमों को काठमांडू जिला में अलग–अलग क्षेत्रों में तैनात किया गया और टीमों ने बालखू, कोपान, गोंग्भू, तनहू अस्पताल, बालाजू, बंसुधरा, महाराजगंज, ब्रिजेश्वरी, शोभा भगवती पुल, के.वी. आर्मी क्षेत्र, तिलगंगा, सोनदारा, सफेद गुंबा, शांखु, प्रधानमंत्री निवास क्षेत्र, बालाजू बाईपास और काठमांडू में तुरंत यू.एस.ए.आर अभियान चलाने शुरु किए। एस.ए.आर. अभियान 25 अप्रैल, 2015 से 04 मई, 2015 तक जारी रहे।

7.10 एन.डी.आर.एफ. ने 11 घायल लोगों को बचाया और मलबे से 133 शवों को बाहर निकाला। टीमों ने 06 चिकित्सा शिविर भी लगाए और इनमें 1219 लोगों का इलाज किया गया। रेल/सड़क/हवाई मार्ग द्वारा नेपाल में भूकंप प्रभावित लोगों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा दान की गई 1176.571 टन राहत सामग्री को भिजवाने में एन.डी.आर.एफ. गृह मंत्रालय और एन.डी.एम.ए. का मददगार बना।

7.11 लोगों/पशुओं की कीमती जानें बचाने और लोगों की तकलीफों को कम/दूर करने के अलावा, एन.डी.आर.एफ. की टीमों ने कीमती चीजों को भी बरामद किया तथा उन्हें नेपाली अधिकारियों को सौप दिया।

7.12 नेपाल के भूकंप का भारत के उत्तरी भागों में भी

असर महसूस किया गया है जिसके चलते बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों से सटे नेपाल के सरहदी क्षेत्रों में भूकंप के बहुत शक्तिशाली झटके महसूस किए गए जिसके कारण बिल्डिंगें ढह गईं। भूकंप ने इन क्षेत्रों के संचार सेटअप को भी पूरी तरह तहस–नहस कर दिया। एन.डी.आर.एफ. ने 25/04/2015 को गृह मंत्रालय से तुरंत कार्रवाई के लिए निर्देश मिलते ही सुपौल, मोतीहारी, दरभंगा और गोपालगंज में अपनी 4 टीमें भेज दी। एक टीम उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में भेजी गई।

7.13 26/04/2015 को, मोतीहारी में तैनात की गई टीम को आगे रक्सौल (बिहार) में भेजा गया। बिहार में तैनात टीमों ने रक्सौल में बचाव तथा सुरक्षित निकासी अभियान चलाए और क्षतिग्रस्त बिल्डिंगों/वार्डों के 180 मरीजों को दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुरक्षित बिल्डिंगों में पहुचाया। रक्सौल, पूर्वी चंपारन में तैनात टीम ने नेपाल से 409 लोगों को हजारीमल हाई स्कूल, रक्सौल के राहत केंद्र तक पहुंचाकर राज्य सरकार की मदद की।

गुजरात में बाढ़

7.14 गुजरात में विभिन्न भागों में बाढ़ के हालात पैदा होने पर दिनांक 28/07/2015 को एन.डी.आर.एफ. की सत्रह टीमों (05 बटालियन से 06 टीमें, 07 बटालियन से 02 टीमें और 06 बटालियन से 09 टीमें) जिनमें लगभग 600 बचाव–कर्ता जवान शामिल थे, को भेजा गया। टीमों को बनसकांथा और पाटन जिलों के सुईगाम, डीसाहरारा, थेरेड, भाभर, देवधर, धनेरा और पालनपुर में तैनात किया गया। गुजरात के 9 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए जिनमें से 4 जिले नामतः बनसकांथा, पाटन, कच्छ तथा मेहसाणा बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इन 4 जिलों में, 1296 गांव प्रभावित हुएः जिनमें से 313 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित थे।

7.15 टीमों ने बचाव तथा राहत अभियान चलाए और 1430 असहाय लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया, 04 शवों को बरामद किया, 06 क्विंटल राहत सामग्री, पानी एवं खाने के 1,27,898 पैकेट बांटे। 445 लोगों को चिकित्सा टीमों द्वारा विभिन्न बीमारियों के लिए आवश्यक जरूरी दवाएं दी गई। 02.08.2015 को, एन.डी.आर.एफ. की टीमों ने 200 ग्राम सोना, 05 किलो चांदी तथा 2 लाख रुपए की नकद राशि बरामद की। टीमों ने बाढ़ का पानी घट जाने के बाद क्षेत्र में 268 पशुओं के बिखरे पड़े शवों के निपटान कार्य में स्थानीय प्रशासन की भी मदद की।

राजस्थान में बाढ़

7.16 28.07.2015 को बाढ़ में बचाव–कार्य हेतु 296 बचाव–कर्ताओं की आठ टीमों को 06 बटालियन एन.डी. आर.एफ. से लेकर एकत्र किया गया। बाढ़ बचाव अभियान के दौरान, एन.डी.आर.एफ. ने 05 शव बरामद किए। टीमों ने 17 क्विंटल राहत सामग्री, 20 तिरपाल तथा पानी एवं खाने के 2435 पैकेटों को बांटा। टीमों ने 432 मरीजों को दवाएं भी बांटी। एन.डी.आर.एफ. की टीमों ने 582 लोगों को बचाया।

तमिलनाडु सरकार को राहत तथा बचाव कार्यों में सहायता देना (चेन्नई की बाढ़)

7.17 दिसंबर, 2015 के दौरान चेन्नई में एक भयंकर बाढ़ आई। ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया जिससे सबवे, अस्पताल, सड़कें तथा महत्वपूर्ण बिल्डिंगें प्रभावित हुई। एन.डी. एम.ए. से चेन्नई में राहत तथा बचाव प्रयासों में समन्वय कार्य में राज्य सरकार की सहायता के लिए एक संयुक्त सलाहकार नियुक्त किया गया जबकि एन.डी.एम.ए. के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम दिल्ली से अंतर–मंत्रालयीन प्रयासों की मॉनीटरिंग तथा समन्वय का काम कर रही थी।

7.18 राज्य सरकार द्वारा सहायता का अनुरोध किए जाने पर, एन.डी.आर.एफ. ने तुरंत अपनी टीमों को चेन्नई के लिए रवाना किया। 194 नावों, 1571 लाइफ जैकेट, 1071 जीवन रक्षक पेटियों, 40 डाइविंग सेटों, 100 गोताखोरों और अन्य बाढ़ बचाव उपकरणों के साथ 1715 बचाव–कर्ताओं वाली एन.डी. आर.एफ. की 50 टीमों को दिनांक 01.12.2015 से 16.12.2015 के दौरान तमिलनाडु और पुड्डुचेरी में तैनात किया गया। कमाडेंट, 4 बटालियन, एन.डी.आर.एफ. ने बाढ़ अभियानों के दौरान सभी हितधारकों के साथ कारगर तालमेल तथा सहयोग में एक बहुत मददगार भूमिका अदा की।

7.19 टीमों ने तमिलनाडु और पुड्डुचेरी के विभिन्न जिलों अर्थात तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, कडलोर, नागपटिनम, तिरुनलवेली, वेल्लोर, टुटीकोरिन और कराईकल (पुड्डुचेरी) के अलावा चेन्नई के जिलों में बचाव तथा राहत अभियानों का संचालन किया। एन.डी. आर.एफ. ने विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 22,450 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। टीमों ने इस अवधि के दौरान विभिन्न राहत अभियानों में 13 लोगों के शवों का बरामद किया।

7.20 एन.डी.आर.एफ. की टीमों ने असहाय बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बंटवाने में सहायता दी क्योंकि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में तब आबादी के पास खाने तथा पीने की आपूर्ति की कमी थी। कुल मिलाकर टीमों ने 241904 खाने के पैकेट, 210372 पीने के पानी के पैकेट, 22186 दूध के पैकेट, 2800 किलो आटा, 5150 किलोग्राम–चावल, 56,965 पहनने के कपड़े एवं कंबल तथा 16030–विभिन्न चीजों का वितरण किया।

7.21 एन.डी.आर.एफ. की चिकित्सा टीमों ने मेडिकल कैंप लगाए और 359 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की। लोगों की तकलीफों को दूर करने के अलावा, एन.डी. आर.एफ. की टीमें बाढ़ के इलाकों में फंसे जानवरों को बचाने में सक्रियता से लगी रहीं। टीमों ने इलाके में से 30 पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला।

7.22 उपर्युक्त के अलावा, एन.डी.आर.एफ. ने विभिन्न बाढ़ से संबंधित घटनाओं हेतु खोज तथा बचाव अभियान चलाए और सूची 1 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार घायलों को बचाया/मृतकों के शव को बरामद किया।

सारणी 1 – बाढ़ बचाव आपदा मोचन में एन.डी.आर.एफ. की उपलब्धियां

क्र.सं०	स्थान	बचाए गए जीवित/घायल व्यक्ति	बरामद किए गए मृतकों के शव
1	असम	2791	03
2	गुजरात	2362	19
3	राजस्थान	978	09
4	पश्चिम बंगाल	506	03
5	जम्मू एवं कश्मीर	96	
6	मध्य प्रदेश	04	
7	तमिलनाडु	27444	17
8	आंध्र प्रदेश	14871	02
	योग	**49052**	**53**

कोलकाता में विवेकानंद फ्लाईओवर का गिरना

7.23 31 मार्च, 2016 को दोपहर 1.17 बजे, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में गिरीश पार्क के पास विवेकानंद फ्लाईओवर के निर्माणाधीन खंड का एक हिस्सा गिर गया। चूंकि इसके नीचे की सड़क एक घनी आबादी वाले इलाके से होकर जाती है और इस व्यस्त सड़क वाले चौराहे से सटे हुए हिस्से पर निर्माण कार्य चल रहा था, इस दौरान पुल के नीचे से गुजरने वाले कई वाहन फ्लाईओवर से नीचे गिरने

वाले मलबे के तले आ गए और मलबे के नीचे फंस गए। परिणामस्वरूप कुछ लोगों के मरने की सूचना मिली।

7.24 राजरहाट, कोलकाता में तैनात एन.डी.आर.एफ. की दो टीमों को घटना स्थल पर रवाना किया गया। इन दो टीमों के बाद 352 बचाव–कर्ताओं वाली 2–बटालियन, एन. डी.आर.एफ. की 8 और टीमों को, क्षतिग्रस्त इमारत खोज

और बचाव (सी.एस.एस.आर.) अभियानों के लिए आशयित विशेष उपकरणों के साथ खोज तथा बचाव कार्य किया। एस.ए.आर. कुत्तों तथा लाइफ डिटेक्टर्स को पीड़ितों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल में लाया गया क्योंकि जीवित पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकालना उनकी प्राथमिकता थी।

7.25 पीड़ितों को प्राथमिक डॉक्टरी सहायता प्रदान करने के लिए एक डॉक्टर तथा आठ नर्सिंग असिस्टेंटों को भी, अन्य आवश्यक चिकित्सा सामग्री के साथ तैनात किया गया। इसके अलावा एक सहायक इंजीनियर और 08 जूनियर इंजीनियर वाली एक तकनीकी टीम को भी मलबे को तेजी से तथा सुरक्षित ढंग से हटाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु तैनात किया गया। यूनिट कमाडेंट ने स्वयं अभियान की अगुवाई की। एन.डी.आर.एफ. की टीमों ने इस अभियान में 10 लोगों के शवों को बरामद किया और यह अभियान 72 घंटों से अधिक अवधि तक चला।

अन्य क्षतिग्रस्त इमारत खोज एवं बचाव अभियान में एन.डी.आर.एफ. की उपलब्धियां

7.26 उपर्युक्त के अलावा एन.डी.आर.एफ. ने विभिन्न क्षतिग्रस्त इमारतों से जुड़ी घटनाओं में खोज तथा बचाव अभियानों में कार्रवाई की और सारणी–2 में दिए ब्यौरे के अनुसार घायलों को बचाया/मृतकों के शवों को बरामद किया।

सारणी 2 – क्षतिग्रस्त इमारत खोज एवं बचाव अभियानों में एन.डी.आर.एफ. की उपलब्धियां

क्र. सं०	स्थान	बचाए गए जीवित/घायल व्यक्ति	बरामद किए गए मृतकों के शव
01	महाराष्ट्र	17	21
02	दिल्ली		05
03	तमिलनाडु	01	02
04	तेलंगाना	01	
05	हिमाचल प्रदेश	02	
	योग	**21**	**28**

चक्रवात 'कोमेन'–पश्चिम बंगाल

7.27 80 नावों तथा अन्य आवश्यक उपकरणों सहित 700 बचाव–कर्ताओं वाली एन.डी.आर.एफ. की सात टीमों (2 बटालियन एन.डी.आर.एफ. की 02 टीमें और 4 बटालियन एन.डी.आर.एफ. की 03 टीमें) को जुलाई–अगस्त, 2015 के महीनों के दौरान पश्चिम

बंगाल में सिलिगुड़ी, दार्जिलिंग, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, उत्तरी 24 परगना, मुर्शिदाबाद, बर्धमान, हुगली, पश्चिमी मेदिनीपुर, बीरभूम, हावड़ा और नदिया जिलों में तैनात किया गया। इस तैनाती के दौरान, टीमों ने कई बचाव अभियान चलाए तथा 82.7 क्विंटल सूखा राशन (ड्राई राशन), 11300 पानी के पाउच, 500 तिरपाल, दवाओं के 500 पैकेट, मोमबत्ती और माचिस के 5 कार्टन तथा अन्य राहत सामग्री को बांटने के अलावा 2,291 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

पानी में डूबने की घटनाओं से जुड़े बचाव अभियान

7.28 एन.डी.आर.एफ. की टीमों ने पूरे देश में हुई पानी में डूबने की विभिन्न घटनाओं में मोचन कार्य किया। इसका ब्यौरा सारणी–3 में दिया गया है।

सारणी 3 – पानी में डूबने की घटनाओं (ड्राउनिंग इंसीडेंट्स) से जुड़े बचाव अभियानों में एन.डी.आर.एफ. की उपलब्धियां

क्र. सं०	राज्य	बचाए गए जीवित / घायल व्यक्ति	बरामद किए गए मृतकों के शव
1	हिमाचल प्रदेश	-	07
2	महाराष्ट्र	-	07
3	आंध्र प्रदेश	-	08
4	कर्नाटक	-	07
5	बिहार	05	05
6	असम	-	06
7	उत्तर प्रदेश	03	06
8	उत्तराखंड	-	07
9	तमिलनाडु	-	10
10	तेलंगाना	03	-
11	अरुणाचल प्रदेश	-	01
12	राजस्थान	-	01
	योग	**11**	**65**

मणिपुर में हिमस्खलन

7.29 01.08.2015 को, सचिव (आर. एंड डी.एम.), मणिपुर सरकार से सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर 02 कुत्तों के साथ एन.डी.आर.एफ. की एक टीम को हवाई मार्ग के माध्यम से गुवाहाटी एयरबेस से इंफाल एयरबेस और वहां से जोपाईआईबोल हैलीपैड पर भेजा गया जहां से टीम को खोज तथा बचाव अभियान के लिए, गांव लूमोल, जिला–चंदेल, मणिपुर में भेजा गया जहां गांव में हिमस्खलन होने के बाद 20 गांव वाले लापता हो गए थे। घटना की भयावहता की मात्रा इस बात से लगाई जा सकती है कि सारा गांव मलबे में बह गया। एक और टीम को भी सड़क मार्ग द्वारा घटना स्थल पर पहुंचने के लिए भेजा गया। एन. डी.आर.एफ. द्वारा गुमशुदा लोगों के लिए एक सघन खोज अभियान चलाया गया। एन.डी.आर.एफ. की टीम ने 02.08.2015 को 04 शव बरामद किए।

एन.डी.आर.एफ. अकादमी

7.30 एन.डी.आर.एफ. के लिए एक प्रतिबद्ध प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण हेतु गृह मंत्रालय द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय ने नागपुर में एन.डी.आर.एफ. अकादमी की स्थापना को अनुमोदित कर दिया जिसनें दिनांक 18.06.2015 से महा–निदेशक एन.डी.आर.एफ. के तत्वावधान के अंतर्गत काम करना शुरु कर दिया। एन.डी. आर.एफ. कार्मिकों के लिए अकादमी में अडवांस कोर्सों को संचालन सभी एन.डी.आर.एफ. बटालियनों से चुने गए अनुदेशकों की एक विशेषज्ञ टीम द्वारा किया जा रहा है।

7.31 एन.डी.आर.एफ. अकादमी, नागपुर में सफलतापूर्वक संचालित किए गए कोर्सों की सूची निम्नानुसार है:

क्र. सं०	कोर्स का नाम	कोर्स की अवधि	भागीदारों की संख्या
1	एम.एफ.आर./सी.एस.एस.आर. में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	07/09/15 से 28/09/15	24
2	एम.एफ.आर./सी.एस.एस.आर. में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	05/10/15 से 26/10/15	24
3	एस.डी.आर.एफ. कार्मिकों के लिए एम.एफ. आर./सी.एस.एस.आर. में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	04/01/16 से 06/02/16	37

सामुदायिक जागरूकता एवं तैयारी

7.32 एन.डी.आर.एफ. बटालियनों को परिचय अभ्यासों (फेमिलराइजेशन एक्सरसाइज–फेमैक्स) के दौरान सामुदायिक जागरूकता पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का काम सौंपा गया है। बटालियन समुदायिक स्तर पर फेमैक्स के दौरान आपदा से निपटने की तैयारी से जुड़े कार्यों का प्रशिक्षण/प्रदर्शन करेंगी और डेटा मैपिंग का काम करेगी। वर्ष 2015–16 के दौरान एन.डी.आर.एफ. बटालियनों द्वारा अपने संबंधित उत्तरदायित्व क्षेत्र में संचालित फेमैक्स कार्याक्रमों का ब्यौरा सारणी–4 में दिया गया है:

सारणी 4 – एन.डी.आर.एफ. बटालियनों द्वारा परिचय अभ्यास (फेमिलियराइजेशन एक्सरसाइज)

क्र. सं०	एन.डी.आर.एफ. बटालियन	फेमैक्स/सी.ए.पी./सी.बी.पी. की संख्या	लाभान्वित व्यक्ति
1	पहली बटालियन	285	67112
2	दूसरी बटालियन	25	25340
3	तीसरी बटालियन	46	69494
4	चौथी बटालियन	25	7052
5	5वीं बटालियन	83	83333

6	6वीं बटालियन	20	1635
7	7वीं बटालियन	130	72043
8	8वीं बटालियन	20	34597
9	9वीं बटालियन	109	67516
10	11वीं बटालियन	35	10245
11	12वीं बटालियन	01	226
	योग	**720**	**438593**

विकिरणकीय आपातस्थिति पर वृहत कृत्रिम कवायद (मॉक ड्रिल)

(क) कोलकाता

7.33 एन.डी.आर.एफ. ने 1–2 अगस्त, 2015 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता में एक शीर्ष एजेंसी के रूप में देश में विकिरणकीय आपातस्थिति पर अपनी सबसे पहली मॉक ड्रिल का संचालन किया जिसमें साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, एन.डी.आर.एफ., हवाई अड्डा प्राधिकारी, सी.आई.एस.एफ., जिला प्रशासन, एयर इंडिया कार्मिक, पुलिस, अग्निशमन सेवाएं, अस्पताल तथा अन्य लोगों सहित विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया।

7.34 दिनांक 01 अगस्त, 2015 को टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक हितधारक ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना प्रस्तुत की और बैठक में कल्पित (सिमुलेटिड) आपदा स्थितियों ने मोचन कार्य का प्रदर्शन किया। अभ्यास से उनको अपनी संबंधित योजनाओं को अन्य एजेंसियों की योजनाओं के मुकाबले जांचने में मदद मिली। इस अभ्यास से सभी हितधारकों को अपनी योजनाओं को समय अनुसार बनाने/ढालने का बहुत अच्छा मौका मिला जिससे वे ऐसे किसी मोचन की प्रभावकारिता का अपने लिए अनुकूलन कर सकें। इसके बाद 2 अगस्त, 2015 को कृत्रिम अभ्यास का आयोजन किया गया जहां प्रत्येक एजेंसी के मोचन का परीक्षण किया गया और मोचन को धरातल पर परख कर भौतिक रूप से परिपूर्ण किया गया।

(ख) कर्नाटक

7.35 दिनांक 09 और 10 जनवरी, 2016 को केंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु (कर्नाटक) पर किए गए कृत्रिम अभ्यास में ए.ई.आर.बी., डी.ए.ई., एन.डी.आर.एफ., बेंगलुरु हवाई अड्डे के प्राधिकारी, सी.आई.एस.एफ., जिला प्रशासन, एयर इंडिया कार्मिक, पुलिस, अग्निशमन सेवाएं, अस्पताल तथा अन्य हितधारकों ने भाग लिया। 09 जनवरी, 2016 को टेबल टॉप अभ्यास में विभिन्न एजेंसियों के कुल 70 भागीदारों ने भाग लिया जिसके बाद 10 जनवरी, 2016 को कृत्रिम अभ्यास किया गया। यह अभ्यास एक नया सीखने वाला अनुभव था और विशेषज्ञ के मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए डी.ए.ई. के शामिल होनें से हितधारकों को, भीड़–भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर विकिरणकीय परिस्थितयों से निपटते समय प्रक्रियात्मक कमियों का निवारण करने में, सहायता मिली।

(ग) महाराष्ट्र

7.36 19 और 20 मार्च, 2016 को मुंबई हवाई अड्डे पर विकिरणकीय परिस्थितियों पर कृत्रिम अभ्यास का संचालन किया गया जिसमें संकट–काल प्रबंधन समूह, परमाणु ऊर्जा विभाग, बी.ए.आर.सी., राहत एवं पुनर्वास विभाग, महाराष्ट्र सरकार, सी.आई.एस.एफ., एम.आई.ए. एल जी.वी.के., अग्निशमन विभाग, मुंबई पुलिस, नागरिक सुरक्षा संगठन, मुंबई के आपदा प्रबंधन सेल और अन्य एजेंसियों से सभी हितधारकों ने भाग लिया। 19 मार्च, 2016 को हुए टेबल टॉप अभ्यास ने प्रत्येक एजेंसी को अपनी संबंधित आपदा प्रबंधन योजनाओं को अन्य

एजेंसियों की योजनाओं के मुकाबले में मूल्यांकन करने में मदद मिली और इस अभ्यास से सभी हितधारकों को अपनी योजनाओं को दूसरी योजनाओं के अनुसार बनाने/ढालने में मदद मिली जिससे वे ऐसे किसी मोचन की प्रभावकारिता का अपने लिए अनुकूलन कर सकेगें। इसके बाद 20 मार्च, 2016 को कृत्रिम अभ्यास किया गया।

7.37 इस अभ्यास ने हितधारकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस किस्म की किसी आपातस्थिति के मामलें में अपनी संबंधित भूमिकाओं की समीक्षा तथा रिहर्सल करने में मदद की। इसने उन्हें प्रणालियों की जांच करने, आपदा मोचन प्रक्रम में रहीं कमियों को ढूंढ निकालने और सभी संबंधित एजेंसियों के विशेषज्ञों के साथ निकट तालमेल से उनका निवारण करने में भी मदद मिली।

सुनामी पर वृहत कृत्रिम अभ्यास (मॉक ड्रिल)

7.38 सुनामी की चुनौती से निपटने के लिए, भारत के पूर्वी तट पर बसे राज्यों की तैयारी की जांच तथा समीक्षा करने के लिए एक अभ्यास के भाग के रूप में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और पश्चिम बंगाल में 26 सितंबर, 2015 को एक सुनामी कृत्रिम अभ्यास करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) को निर्देश जारी किए।

7.39 एन.डी.आर.एफ. को कृत्रिम अभ्यास संचालन करने हेतु मार्गदर्शक एजेंसी के रूप में पदनामित किया गया और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशिअन इंफोर्मेशन सर्विसेज (आई.एन.सी.ओ.आई.एस.), हैदराबाद को सुनामी अभ्यास पर एक प्रारंभिक कार्यशाला चलाने की जिम्मेदारी दी गई ताकि राज्य स्तर पर ऐसी ही प्रारंभिक कार्यशालाएं आगे चलाई जा सकें। 26 अगस्त, 2015 को हैदराबाद में आई.एन.सी.ओ.आई.एस. द्वारा प्रारंभिक कार्यशाला का संचालन किया गया जिसमें भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक से अधिकारियों के साथ भाग लेने वाले राज्यों से आपदा प्रबंधन अधिकारियों तथा एन.डी. आर.एफ. के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ऐसी बैठकों में हुए विचार–विमर्शों की परिणति के रूप में, आंध्र प्रदेश में 09 स्थानों, ओडिशा में 06, पुड्डुचेरी में 01, तमिलनाडु में 01 और पश्चिम बंगाल में 03 स्थानों को भाग लेने वाले राज्यों द्वारा 26 सितंबर, 2015 को आयोजित सुनामी कृत्रिम अभ्यास के संचालन हेतु चुना गया।

7.40 एक मार्गदर्शक एजेंसी के रूप में एन.डी.आर.एफ. ने आई.एन.सी.ओ.आई.एस., हैदराबाद में आयोजित विचार–विमर्श सत्रों में सक्रियता से भाग लिया।

केरल में सुनामी कृत्रिम अभ्यास (मॉक एक्सरसाइज)

7.41 केरल में तिरुवनंतपुरम और अलापुजा जिलों में 10–11 मार्च, 2016 को सुनामी पर एक और कृत्रिम अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास में राजस्व, परिवहन, स्वास्थ्य, पी.डब्ल्यू.डी., पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग, वायु सेना, थल सेना, तटरक्षक, एन.एस.एस. छात्र तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों सहित विभिन्न हितधारक एजेंसियों से 1,200 लोगों ने हिस्सा लिया।

7.42 इस अभ्यास का आयोजन सभी एजेंसियों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की जांच करने के लिए किया गया ताकि सभी एजेंसियों की बीच बेहतरीन तालमेल हो जाए और मोचन तंत्र के सभी उपलब्ध संसाधनों का अनुकूल उपयोग करते हुए एक कारगर ढंग से ऐसी किसी आपदा परिस्थिति में मोचन की अच्छी प्रैक्टिस तथा रिहर्सल हो जाए।

एस.डी.आर.एफ. का प्रशिक्षण

7.43 एन.डी.आर.एफ. द्वारा क्षमता निर्माण प्रयासों के लिए

संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ, इसकी बटालियनों को आपदा मोचन के काम में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एस.डी.आर.एफ. कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का भी अधिदेश दिया गया है ताकि देश की आपदा मोचन क्षमता में वृद्धि होती रहे। प्रत्येक बटालियन को एम.एफ.आर., सी.एस.एस.आर., सी.बी.आर.एन., बाढ़ तथा पर्वतीय बचाव अभियानों में एस.डी.आर.एफ. कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सारणी 5 – राज्य आपदा मोचन बलों (एस.डी.आर.एफ.) का प्रशिक्षण

क्र.सं०	राज्य	2015	2016
1	आंध्र प्रदेश		60
2	अरुणाचल प्रदेश	56	
3	बिहार	290	
4	हरियाणा	171	
5	मध्य प्रदेश	150	
6	मिजोरम	25	
7	पंजाब	79	
8	राजस्थान	198	93
9	सिक्किम	60	
10	तमिलनाडु	50	
11	तेलंगाना	72	
12	उत्तराखंड	70	49
13	पश्चिम बंगाल	50	
	कुल योग	1271	202

एन.डी.आर.एफ. स्थापना दिवस

7.44 एन.डी.आर.एफ. ने 7 मार्च, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अपने 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर 'राष्ट्रीय मोचन क्षमताओं को मजबूत करना' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। आपदा प्रबंधन के विभिन्न विविध क्षेत्रों से गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। देश में प्रभावी आपदा मोचन, मुख्यतः ट्रॉमा देखभाल तथा सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों के लिए तैयारी के संबंध में समुदाय स्तर पर राष्ट्रीय क्षमता को मजबूत करने के लिए तैयारी को स्थानीय स्तर पर करने के विषय पर अपने विचारों को साझा किया।

7.45 श्री किरन रिजिजू, माननीय गृह राज्य मंत्री ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर इस दिवस की शोभा बढ़ाई। प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव ने उद्घाटन सत्र पर मुख्य संबोधन प्रस्तुत किया।

एन.डी.आर.एफ. का प्रशिक्षण

7.46 मोचनकर्ता/कार्रवाई कर्ता की दक्षता तथा विशेषज्ञता को बढ़ाने में प्रशिक्षण महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एन.डी.आर.एफ. के कार्मिक कई तरह के प्रशिक्षणों को प्राप्त करते हैं जहां आपदा मोचन से संबंधित बुनियादी जानकारी हासिल करनेः प्राप्त कौशलों को निखारने के साथ–साथ आपदा प्रबंधन से जुड़ी प्रौद्योगिकीय प्रगतियों के साथ काम करने के लिए विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है।

बटालियन का वार्षिक प्रशिक्षण

7.47 एक बटालियन की क्षमता/संख्याबल (स्ट्रेंथ) 1149 कार्मिकों की है जिन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) से प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। जिसके लिए 20 प्रतिशत कार्मिकों को हर साल बदला जाता है। प्रचालनात्मक निपुणता हासिल करने के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण उद्देश्यों का निष्ठा से अनुपालन किया जाता हैः

(क) प्रशिक्षण प्रणाली का श्रद्धा से अनुपालन करके आपदा मोचन के अवयवों और इसके विभिन्न पहलुओं की बुनियादी जानकारी देने और एन.डी.आर.एफ. में शामिल नए कार्मिकों के पेशेवर ज्ञान तथा कौशलों को और बढ़ाने के लिए सभी एन.डी.आर.एफ. बटालियनों के लिए एक वार्षिक प्रशिक्षण कलैंडर तैयार किया गया है

(इसमें व्यावसायिक अपेक्षाओं मुख्यतः उपकरण के देखभाल तथा रख–रखाव के अलावा अपनी खुद की उत्कृष्ट शारीरिक फिटनेस बनाना आदि की बेहतर समझ को बढ़ावा देना शामिल हैं)।

(ख) आपदा मोचन के दौरान किसी दुर्घटना से निपटने के अलावा जारी प्रशिक्षण चक्र के लिए संसाधन व्यक्तियों (रिर्सोस पर्सन्स्) के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त टी.ओ.टी. एवं एम.ओ.टी. तैयार करना।

(ग) आपदा मोचकों (रिस्पोंडर्स) में सही दृष्टिकोण वाला उन्मुखीकरण (ओरियंटेशन) लाना जिसमें मानवीय व्यावहारिक दृष्टिकोण उन्नत करने पर जोर दिया जाए।

अध्याय-8

प्रशासन एवं वित्त

सामान्य प्रशासन

एन.डी.एम.ए. सचिवालय

8.1 एन.डी.एम.ए. सचिवालय में पांच प्रभाग हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं–(i) नीति, योजना, क्षमता निर्माण और जागरूकता प्रभाग, (ii) प्रशमन प्रभाग, (iii) प्रचालन और संचार प्रभाग, (iv) प्रशासन और समन्वय प्रभाग, तथा (v) वित्त और लेखा प्रभाग।

नीति, योजना, क्षमता निर्माण और जागरूकता प्रभाग

8.2 यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, दिशानिर्देशों और योजनाओं के अनुमोदन और सभी राज्यों में क्षमता निर्माण एवं जागरूकता उपायों से जुड़े सभी मामलों को देखता है। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में शामिल कराना भी इस प्रभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारी (स्टाफ) 15 हैं जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), तीन संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), तीन सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) तथा 8 सहायक स्टाफ शामिल हैं।

8.3 क्षमता निर्माण भी इस प्रभाग का एक अन्य कार्य है जो एन.डी.एम.ए. द्वारा देखे जाने वाला एक प्रमुख विषय है। इस प्रभाग ने इस प्रयास को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का काम अपने हाथ में ले रखा है कि तैयारी की संस्कृति सभी स्तरों पर उत्पन्न की जाए। यह जमीनी स्तर पर समुदाय और अन्य हितधारकों को शामिल करने के साथ–साथ, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, दोनों संचार साधनों के उपयोग से जागरूकता सृजन करने की अवधारणा बनाने और निष्पादन का काम भी करता है।

प्रशमन प्रभाग

8.4 इस प्रभाग के उत्तरदायित्वों में चक्रवातों, भूकंपों, बाढ़ों, भूस्खलनों जैसे खतरों और आपातकालीन संचार व्यवस्था आदि जैसे विषयों के बारे में मंत्रालयों और राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम प्रशमन परियोजनाओं का कार्य हाथ में लेना शामिल है। यह माइक्रोजोनेशन, असुरक्षितता विश्लेषण आदि जैसी परियोजनाओं के मार्गदर्शन तथा उनसे जुड़े विशेष अध्ययनों का कार्य भी कराता है। यह मंत्रालयों द्वारा स्वयं चलाई जा रही प्रशमन परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण (मॉनिटर) भी करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 10 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), दो सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) और 5 सहायक स्टाफ हैं।

प्रचालन और संचार प्रभाग

8.5 शीर्ष निकाय के रूप में, एन.डी.एम.ए. को आपदा की स्थिति में सरकार को सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहना अनिवार्य है जिसके लिए इसे नवीनतम सूचना से पूर्ण परिचित रहना आवश्यक है। महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप के लिए एन.डी.एम.ए. के पास दिन–रात आपदा विनिर्दिष्ट सूचना और आंकड़ों संबंधी जानकारी (इनपुट) देने की सुविधा के लिए एक प्रचालन केंद्र है तथा यह मोचन के बाद के चरणों में भी प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। यह प्रभाग पुनर्वास तथा पुनर्बहाली से जुड़े कार्यों से भी निकटता से जुड़ा रहता है।

8.6 इस प्रभाग का काम प्रतिबद्ध और लगातार प्रचालनात्मक अत्याधुनिक संचार प्रणालियों का रखरखाव करना भी है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी खंड के महत्त्वपूर्ण घटकों में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क तथा जी.आई.एस. आधारित अनुप्रयोगों पर बल सहित ज्ञान

प्रबंधन और आंकड़ों के संयोजन के विशेष संदर्भ में आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली शामिल हैं। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ 17 हैं जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), तीन संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), चार सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर क), दो ड्यूटी अधिकारी (अवर सचिव स्तर के) और 7 सहायक स्टाफ हैं।

प्रशासन और समन्वय प्रभाग

8.7 यह प्रभाग प्रशासन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है। इसके क्रियाकलापों में मंत्रालयों/विभागों और राज्यों के साथ आपदा प्रबंधन पर विस्तृत पत्राचार करते रहना शामिल है। यह प्रभाग एन.डी.एम.ए. के सदस्यों और स्टाफ को सभी स्तरों पर प्रशासनिक एवं संभार–तंत्र संबंधी सहायता भी प्रदान करता है। इस प्रभाग में स्वीकृत कर्मचारियों की कुल संख्या 22 है जिसमें एक संयुक्त सचिव, एक निदेशक, दो अवर सचिव और 18 सहायक स्टाफ हैं।

वित्त और लेखा प्रभाग

8.8 वित्तीय और लेखा प्रभाग लेखा–अनुरक्षण रखने, बजट बनाने, प्रस्तावों की वित्तीय संवीक्षा आदि विषयक कार्य करता है। यह प्रभाग व्यय की प्रगति को मॉनिटर भी करता है तथा अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देता है। इस प्रभाग में स्वीकृत कर्मचारियों की कुल संख्या 8 है जिनमें एक वित्तीय सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर), एक निदेशक, एक सहायक वित्तीय सलाहकार (अवर सचिव स्तर का), एक अनुभाग अधिकारी, दो सहायक अनुभाग अधिकारी (ए.एस.ओ.) और 2 सहायक स्टाफ हैं। इसके कार्यों और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देना।
- स्कीम और महत्त्वपूर्ण व्यय प्रस्ताव तैयार करने में, उनसे उनके आरंभिक चरणों से ही, निकटता से जुड़े रहना।
- लेखा–परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखा परीक्षा पैराग्राफों आदि के निपटारे का काम देखना।
- लेखा परीक्षा रिपोर्टों, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी) और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों पर तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- आवधिक रिपोर्टों और विवरणियों की समय से प्रस्तुति को सुनिश्चित करना।

एन.डी.एम.ए.के लिए बजट तैयार करना तथा उसकी मॉनीटरिंग करना

8.9 एन.डी.एम.ए. के लेखों (अकाउंट्स) का हिसाब–किताब मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) कार्यालय, गृह मंत्रालय द्वारा रखा जाता है। एन.डी.एम.ए. के भुगतान तथा प्राप्ति कार्यकलापों का प्रबंध भी मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) गृह मंत्रालय के पर्यवेक्षण के अंतर्गत वेतन एवं लेखा कार्यालय, एन.डी.एम.ए. द्वारा किया जाता है।

वित्त और बजट :

एन.डी.एम.ए.–अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 की अवधि के लिए बजट आबंटन एवं व्यय (आयोजना)

(हजार रुपए)

परियोजना का नाम	बजट अनुमान 15–16	31.03.2016 तक व्यय
विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.)	6340000	6287811
अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं (ओ.डी.एम.पी.)	294100	212828

एन.डी.एम.ए.– अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 की अवधि के लिए बजट आबंटन एवं व्यय (आयोजना–भिन्न)

(हजार रुपए)

वस्तु कोड	वस्तु शीर्ष	बजट अनुमान 15–16	31.03.2016 तक व्यय
04.01.01	वेतन	90000	70013
04.01.02	मजदूरी	20	0
04.01.03	समयोपरि भत्ता	10	0
04.01.06	चिकित्सा उपचार	5000	1187
04.01.11	घरेलू यात्रा व्यय	20000	4390
04.01.12	विदेशी यात्रा व्यय	2500	1879
04.01.13	कार्यालय व्यय	50000	55178
04.01.14	किराया, दर और कर	10	0
04.01.16	प्रकाशन	7000	1397
04.01.20	अन्य प्रशासनिक व्यय	7330	13003
04.01.21	आपूर्ति एवं सामान	10	0
04.01.24	पी.ओ.एल.	50	0
04.01.26	विज्ञापन और प्रचार	80000	53167
04.01.27	लघु निर्माण कार्य	5000	2708
04.01.28	व्यावसायिक सेवाएं	26000	12879
04.01.50	अन्य प्रभार	500	0
04.99	सूचना प्रौद्योगिकी		
04.99.13	कार्यालय व्यय	7500	7500
	योग	**300930**	**223301**

टिप्पणी : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय – विज्ञापन एवं प्रचार निदेशालय के आंकड़े समाहित

अनुबंध–I

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का संघटन

वर्तमान संघटन

1.	भारत के माननीय प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री आर.के. जैन	सदस्य (01.12.2015 से) सदस्य सचिव (23.02.2015 से 30.11.2015)
3.	लेफ्टिनेन्ट जनरल एन.सी. मरवाह, पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त)	सदस्य (30.12.2014 से)
4.	डॉ. डी.एन. शर्मा	सदस्य (19.01.2015 से)
5.	श्री कमल किशोर	सदस्य (16.02.2015 से)

पूर्व सदस्य

1.	जनरल एन.सी. विज	उपाध्यक्ष (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
2.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	उपाध्यक्ष (16.12.2010 से 16.06.2014 तक) सदस्य (11.10.2010 से 16.12.2010 तक) सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
3.	ले० जनरल (डॉ०) जे.आर. भारद्वाज	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
4.	डॉ० मोहन कांडा	सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
5.	प्रो० एन. विनोद चंद्र मेनन	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
6.	श्रीमती पी. ज्योति राव	सदस्य (14.08.2006 से 13.08.2011 तक)
7.	श्री के. एम. सिंह	सदस्य (14.12.2011 से 11.07.2014 तक) सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
8.	श्री बी. भट्टाचार्जी	सदस्य (15.12.2011 से 11.07.2014 तक) सदस्य (21.08.2006 से 20.08.2011 तक)
9.	श्री जे. के. सिन्हा	सदस्य (04.06.2012 से 11.07.2014 तक) सदस्य (18.04.2007 से 17.04.2012 तक)
10.	श्री टी. नन्दकुमार	सदस्य (08.10.2010 से 28.02.2014 तक)
11.	श्री वी.के. दुग्गल	सदस्य (22.06.2012 से 23.12.2013 तक)
12.	मेजर जनरल जे. के. बंसल	सदस्य (06.10.2010 से 11.07.2014 तक)
13.	डॉ० मुजफ्फर अहमद	सदस्य (10.12.2010 से 03.01.2015 तक)
14.	डॉ. हर्ष के. गुप्ता	सदस्य (23.12.2011 से 11.07.2014 तक)
15.	डॉ. के. सलीम अली	सदस्य (03.03.2014 से 19.06.2014 तक)
16.	श्री के.एन. श्रीवास्तव	सदस्य (03.03.2014 से 11.07.2014 तक)

अनुबंध–II

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची

1.	श्री आर.के. जैन, सचिव (04.10.2014 से 22.02.2015 तक) सदस्य सचिव (23.02.2015 से 30.11.2015 तक) सदस्य (01.12.2015 से)
2.	श्रीमती आस्था सक्सेना खतवानी, वित्तीय सलाहकार (01.01.2015 से)
3.	श्रीमती नीलकमल दरबारी, संयुक्त सचिव (01.07.2013 से 31.08.2015 तक)
4.	श्री बी. प्रधान, संयुक्त सचिव (07.08.2015 से)
5.	डॉ० वी. तिरुपुगाज, संयुक्त सचिव एवं सलाहकार (07.09.2015 से)
6.	श्री अनिल कुमार सांघी, संयुक्त सचिव एवं सलाहकार (03.12.2013 से)
7.	मेजल जनरल अनुराग गुप्ता, सलाहकार (प्रचालन एवं संचार) (19.01.2015 से 30.09.2016 तक)
8.	श्री आर.के. सिंह, निदेशक (05.07.2012 से 01.01.2016 तक)
9.	सुश्री श्रेयसी चौधरी, निदेशक (08.12.2015 से)
10.	श्रीमती मधुलिका गुप्ता, संयुक्त सलाहकार (01.09.2010 से 31.10.2015 तक)
11.	श्री बी.एस. अग्रवाल, संयुक्त सलाहकार (25.04.2011 से 31.07.2015 तक)
12.	श्री विनय काजला, संयुक्त सलाहकार (31.08.2012 से 10.11.2016 तक)
13.	श्री एस.के. सिंह, निदेशक (23.07.2012 से)
14.	श्री धीरेन्द्र सिंह सिन्धु, संयुक्त सलाहकार (26.06.2013 से)
15.	कर्नल नदीम अरशद, संयुक्त सलाहकार (20.08.2013 से 01.06.2016 तक)
16.	कर्नल रणबीर सिंह, संयुक्त सलाहकार (11.08.2014 से)
17.	श्री एस.एन. सिंह, संयुक्त सलाहकार (23.01.2015 से)
18.	श्री भूपिन्दर सिंह, उप सचिव (25.02.2013 से)
19.	श्री योगेश्वर लाल, उप सचिव (07.07.2014 से)
20.	श्री जे.सी. बाबू, सहायक सलाहकार (03.10.2008 से)
21.	श्री पार्था कंसबनिक, अवर सचिव (18.08.2011 से)
22.	श्री अमल सरकार, अवर सचिव (14.11.2012 से)
23.	श्री तुरम बारी, अवर सचिव (01.01.2013 से)
24.	श्री एम.ए. प्रभाकरन, सहायक वित्तीय सलाहकार (15.09.2014 से)
25.	श्री सुनील सिंह रावत, अवर सचिव (30.03.2015 से)
26.	श्री पंकज कुमार, अवर सचिव (06.04.2015 से)
27.	श्री रमेश कुमार मिश्रा, अवर सचिव (28.03.2014 से)
28.	श्री राजेन्द्र कुमार बंधु, अवर सचिव (19.02.2016 से)
29.	सुश्री आम्रपाली पन्थी, सहायक सलाहकार (03.06.2013 से)
30.	डॉ० पवन कुमार सिंह, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (23.05.2008 से)
31.	डॉ० एस.के. जेना, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (01.08.2008 से)
32.	श्री नवल प्रकाश, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (22.05.2009 से)
33.	डॉ० ए.के. सिन्हा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (22.10.2010 से 21.10.2015 तक)
34.	डॉ० मोनिका गुप्ता, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (24.07.2013 से)